किसान संघर्ष

अगस्त–सितम्बर 2024

12 अगस्त 2024 – कपास किसानों का हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविध्यालय पर प्रदर्शन

26 जून 2024 – झारखंड राज्य किसान सभा का रांची में प्रदर्शन

21 जुलाई 2024 – जम्मू–कश्मीर के कुलगाम में सेब किसानों की रैली

किसान संघर्ष

किसान सभा की पत्रिका

अगस्त–सितम्बर 2024

संपादक

डॉ अशोक ढवले

कार्यकारी संपादक

बादल सरोज

संपादक मंडल

डॉ विजू कृष्णन

पी कृष्णप्रसाद

इन्द्रजीत सिंह

अवधेश कुमार

मनोज कुमार

पुष्पेन्द्र त्यागी

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (केंनिंग लेन), नई दिल्ली–110001

फोन व फैक्स : 011–23782890

ई–मेल : psksaiks@gmail.com
kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095

विषय सूची

आशंकाएं कायम हैं मगर संभावनाएं भी बढ़ी हैं
– सम्पादकीय 2

लोकसभा 2024 चुनाव परिणामः सबक और कार्य
– अशोक ढवले 4

आंदोलनों ने बनाया कॉरपोरेट–साम्प्रदायिक भाजपा की हार का माहौल
–विजू कृष्णन 10

भारतीय आम चुनावों पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन का प्रभाव – अमराराम से शिंजनी जैन की खास बातचीत 12

भारत की खेती और किसान; दुनिया के सामने मोदी की डींग और धरती का सच
– बादल सरोज 15

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की भविष्य की राह
– हन्नान मौल्ला 18

केंद्रीय बजट 2024–25 मे कृषि के निगमीकरण को खुलि छुट
– पी कृष्णप्रसाद 22

नये फौजदारी कानूनों का थोपा जाना अफरातफरी और एजेंडा चालू रहे
– पुष्पेन्द्र त्यागी 25

क्रांतिकारी संघर्षो की राहों पर : स्वामी सहजानन्द सरस्वती
– अवधेश कुमार 27

केंद्र सरकार की नैनो यूरिया योजना कितनी वैज्ञानिक है?
– नशीथ चौधरी 30

एमएसपी की लड़ाई क्यों ज़रूरी?
– मनोज कुमार 33

छत्तीसगढ़ : कानून का राज होगा या गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग?
– संजय पराते 35

गाजाः एक भयावह साम्राज्यवादी युद्ध और शांति के लिए संघर्ष
– निधिश जे विलाट 38

किसान सभा प्रतिनिधिमंडल का वायनाड में भूस्खलन क्षेत्र का दौरा 40

सम्पादकीय

आशंकाएं कायम हैं मगर संभावनाएं भी बढ़ी हैं

सात चरणों में हुए 18वीं लोकसभा के परिणामों ने दो बातें साफ़ कर दी हैं; पहली तो यह कि जनता ने मोदी को राज करने के लायक नहीं माना है। हजारों करोड़ रूपये फूंकने, चुनाव अभियान को हर संभव असंभव नीचाई से भी नीचे ले जाने और सारी तिकड़में आजमाने के बाद भी उन्हें स्पष्ट बहुमत से भी काफी नीचे ला दिया। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता में रही पार्टी यदि बहुमत गंवा देती है तो वह सरकार बनाने का नैतिक अधिकार खो देती है दृ मगर मोदी और उनकी भाजपा के शब्दकोष में नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी जैसे शब्द नहीं हैं। दूसरी बात यह कि यह जनादेश देश के मेहनतकशों की उस जबर्दस्त, कुर्बानियों से भरी जद्दोजहद का नतीजा है जिसकी धुरी 380 दिन तक दिल्ली की बॉर्डर और उसके बाद देश भर में चला और किसान मजदूर एकता के रूप में और व्यापक हुआ किसान आन्दोलन था। यह वह संग्राम था जिसने कार्पोरेटी हिंदुत्व के सांड को सींग से पकड़ा और उसे पीछे ही नहीं धकेला बल्कि उसके गढ़े पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त करके जनता के असली मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिए। उन्हें इतना धारदार बना दिया कि इंडिया ब्लॉक का मुख्य एजेंडा बन गए, यहाँ तक कि सत्ता पार्टी को भी उसी दायरे में बोलने के लिए विवश कर दिया।

नए मंत्रिमंडल में पुराने सभी मंत्रियों को उनके पहले के पदों पर बरकरार रखते हुए, मंदसौर किसान हत्याकांड के लिए कुख्यात शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाकर और उसके बाद के घटनाक्रम ने यह संकेत दे दिए हैं कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, भले भारत की जनता ने मो–शा की भाजपा के खिलाफ जनादेश दे दिया हो, मगर न वे सुधरेंगे, न अपने आपको बदलेंगे !! मोदी ने इसे चित्त हुए तो क्या नाक तो ऊपर ही रही के अंदाज में 'न हारे थे, न हारेंगे' के वाक्य में सूत्रबद्ध किया। बाकी झलक पहले सप्ताह के अपने फैसलों में दिखा दी ; सरकार बनते ही 14 साल पुराने एक मुकदमे में कोई सबूत न होने के बावजूद अरुंधती राय और प्रो शौकत हुसैन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी, एनएसए के चीफ डोभाल और मुख्य सचिव का सेवा विस्तार कर दिया गया, पहली फुर्सत में ही उन अपराध और न्याय संहिताओं को लागू कर दिया गया जिन्हें संसद के सभी विपक्षी सदस्यों को सदन से निकालकर बिना किसी बहस के पारित करवाया गया था। इस तरह संघ नियंत्रित भाजपा की मो–शा जोड़ी ने सन्देश दिया ह कि बहुमत नहीं मिला तो क्या कार्पोरेटी हिंदुत्व का बेताल अब एनडीए के विक्रम के कंधे पर सवार रहेगा ; करेगा वही जो अब तक करता रहा है । यह भी कि भले जनता ने अयोध्या वाले फैजाबाद सहित बाकी अनेक जगह फन कुचल दिया हो मगर विषदंत अभी टूटे नहीं हैं । सिर्फ सरकार और प्रशासन के स्तर पर ही नहीं देश भर में सुनियोजित हमलों के जरिये दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले करवाके ध्रुवीकरण की कोशिशें भी तेज कर दी गयी हैं । शुरुआत छत्तीसगढ़ में योजना बनाकर की गयी उत्तरप्रदेश के पशु व्यापारियों की हत्या से हुई ; ओड़ीसा, तेलंगाना में साम्प्रदायिक हिंसा भड़काई गयी । ईद के ठीक पहले मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों मंडला और सिवनी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया । लखनऊ में चुन चुन कर मकान गिराकर और फिर कांवड़ यात्रा के दौरान ठेले और दुकानदारों के नाम

लिखवाने की हरकत, जिसे रोकने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, से इस उन्मादी ध्रुवीकरण को उच्चतर स्तर पर पहुंचाया गया। हिन्दुत्व की इस बढ़ी चहलकदमी के साथ कदमचाल करते हुए कार्पोरेट्स के खजाने भरने वाला काम हाल में पेश किये गए बजट के जरिये पूरा कर दिया गया । कुल मिलाकर यह कि हुक्मरानों ने पूरी निर्लज्जता से कह दिया है कि चुनाव नतीजे कुछ भी हों, चलेगा वही कुत्सित एजेंडा, जिसे इन हुनावों में जनता ने ठुकराया है।

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के प्रति जिस तरह का लोकतांत्रिक और सकारात्मक रुख होना चाहिए उसकी उम्मीद मोदी की भाजपा से करना व्यर्थ है। वाम के प्रति अपने विशेष दुराग्रह को मोदी चुनाव नतीजों के उजागर कर ही चुके हैं, जब उन्होंने सीटें कम होने के लिए "लेफ्टिस्टो द्वारा फैलाई गयी संविधान बदल देने की अफवाहों" को जिम्मेदार ठहराया था। सरकार बनने के बाद भी उनकी यह नफ़रत कायम रही और यहाँ तक जा पहुंची कि कुवैत में हुए अग्निकांड हादसे के बाद उन्होंने अपनी सरकार का एक छुटका मंत्री तो भेज दिया लेकिन केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को कुवैत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया; जबकि उस हादसे में हुए शिकार ज्यादातर भारतीय केरलवासी थे। मोदी सरकार का दावा था कि उसने यह अनुमति इसलिए नहीं दी ताकि खर्चा बचाया जा सके दृ जबकि ठीक इसी समय खुद मोदी जी–7 की मीटिंग में भाग लेने के लिए इटली अपने 8 हजार करोड़ के विमान से गए, जहां एक चर्चित सेल्फी के अलावा क्या हासिल हुआ यह किसी को नहीं पता। साफ़ है कि चिंता में खर्च बचाना नहीं था – केरल की वाम जनवादी मोर्चा सरकार को बायपास करना था। देश के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के ढाँचे से द्वेष और वैर रखने वाले ही ऐसा कर सकते हैं।

कुल मिलाकर यह कि संविधान सम्मत, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के ऊपर मंडराने वाला संकट अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में इसके कम होने की जगह इसके बढने की आशंकाएं अधिक नजर आ रही हैं। ऊपर दर्ज किये गए उदाहरणों से साफ़ हो जाता है कि जनादेश के रुझान से खीजी और हताश मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बदहवासी के साथ दमनात्मक रास्ते पर बढ़ेगी, ध्रुवीकरण को तेज करेगी। इसे रोकने के लिए एन डी ए के – टीडीपी और जनता दल (युनाइटेड) – जैसे घटक दलों की भूमिका के कयास और संसद के समीकरणों पर आस लगाकर बैठना बिलकुल भी उचित नहीं होगा। यह काम अवाम की व्यापकतम संभव एकता बनाकर ही किया जा सकता है – यही व्यापक समन्वय था जिसने और जिसके बनाए असर ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को पीछे धकेला है। चुनाव के खत्म होने के बाद इसे पूरा हुआ नहीं माना जा सकता। सिर्फ राजनीतिक दलों के समन्वय या गठबंधन को इसका एकमात्र माध्यम मानकर नहीं बैठा जा सकता।

यकीनन चुनाव परिणामों ने अंधेरे की चादर में एक बड़ा सुराख किया है – इससे पहले कि कार्पोरेटी हिन्दुत्व इसे थेगड़े लगाकर रफू करे, इसे और ज्यादा चौड़ा करना होगा। एक जगह बनी है – इससे पहले कि इसे दोबारा से हड़पने की साजिशें कामयाब हों, इसे आर्थिक सहित वैचारिक, सांस्कृतिक आदि सभी मोर्चों पर गतिशीलता बढ़ाकर और वृहद बनाना होगा। किसान आन्दोलन यह साबित कर चुका है कि जनता के सभी तबकों और व्यक्तियों का जोड़ मिलकर इसे कर सकता है; राजनीतिक पटल पर की जानेवाली कोशिशों को भी इससे बल मिलेगा।

□

लोकसभा 2024 चुनाव परिणामः सबक और कार्य

– अशोक ढवले

लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणामों का देश भर के सभी जनतांत्रिक वर्गों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है क्योंकि इनसे भाजपा और एनडीए को काफी झटका लगा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत में काफी वृद्धि की है। भाजपा–आरएसएस के इस कॉरपोरेट–सांप्रदायिक –अधिनायकवादी शासन विस्तार में कटौती ने जनवादी ताकतों को कुछ राहत और सांस लेने की जगह दी है, जिन्होंने मोदी शासन के पिछले एक दशक में आक्रामक हमलों और निर्मम दमन का सामना किया है।

यह परिणाम नरेंद्र मोदी के लिए भी व्यक्तिगत तौर एक बड़ा झटका हैं, जिन्होंने खुद को भाजपा–एनडीए अभियान का एकमात्र चेहरा बना लिया था। यहां तक कि भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का नाम भी "मोदी की गारंटी" रखा गया था। मोदी ने अभियान के दौरान सांप्रदायिक प्रचार की जिस निम्नतम गहराई को छुआ, वह घृणित था। मोदी ने जिस हास्यास्पद स्तर पर आत्म–प्रशंसा की, वह इस दावे तक पहुच गई कि वे "गैर–जैविक" है और उनका मूल स्वयं भगवान है! लेकिन मोदी ने अपने इर्द–गिर्द जो अजेयता का आभामंडल बनाया था, वह अब बिखर गया है।

भाजपा–एनडीए को झटका

बीते तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए द्वारा जीती गई सीटें और प्राप्त वोट शेयर इस प्रकार हैं: 2014 – 282 (31.0 प्रतिशत) और 336 (38.5 प्रतिशत); 2019 – 303 (37.7 प्रतिशत) और 353 (45.3 प्रतिशत); 2024 – 240 (36. 6 प्रतिशत) और 292 (42.5 प्रतिशत)।

बीजेपी–एनडीए ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत "400 पार" के नारे के साथ की थी। वे "300 पार" भी नहीं कर पाए! पिछले दस सालों में पहली बार बीजेपी ने लोकसभा में अपना स्पष्ट बहुमत खो दिया है, जो स्पष्ट बहुमत से 32 सीट कम रहा। 2019 की तुलना में भाजपा ने 63 सीटें खो दी हैं और एनडीए ने 61 सीटें खोई।

हालांकि, भाजपा द्वारा जीती गई 240 सीटों के अलावा एनडीए में अन्य दलों द्वारा जीती गई 52 सीटों के कारण, एनडीए 20 सीटों के बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गया है और भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता सत्ता तक पंहुच गई तथा एक बार फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा अब टीडीपी (16) और जेडी–यू (12) के समर्थन पर निर्भर है, जिनके पास कुल मिलाकर 28 सीटें

हैं। हालांकि, भाजपा का वोट प्रतिशत केवल 1.1 कम हुआ है, और एनडीए का केवल 2 प्रतिशत। इसका मतलब यह है कि पिछले एक दशक में आरएसएस–भाजपा द्वारा अपने नफरत और हिंसा के अभियान के माध्यम से हासिल किया गया हिंदुत्व ध्रुवीकरण काफी हद तक बरकरार है और सांप्रदायिक–कॉर्पोरेट गठजोड़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसलिए किसी भी तरह की संतुष्टि या अपनी सतर्कता कम करने का कोई कारण नहीं है।

भाजपा को सबसे बड़ा और अप्रत्याशित झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां उसकी सीटें 80 में से 62 से घटकर सिर्फ 33 रह गईं। अगर बसपा की भूमिका ठीक होती, तो वह 16 और सीटें हार सकती थी। राज्य में उसका वोट शेयर 9 प्रतिशत कम हुआ। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपनी मौजूदा फैजाबाद सीट हार गई, जिस के अंतर्गत अयोध्या और राम मंदिर आते है। वह भी सपा के दलित उम्मीदवार से, जो सामान्य सीट से लड़ा था। अयोध्या के आसपास की अधिकांश सीटें उसने खो दीं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की खुद की वाराणसी सीट पर भी बहुमत बहुत कम हो गया।

भाजपा और एनडीए को मिली दो और हारें है जिन पर हम खुश हो सकतें है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारे अजय मिश्रा टेनी की हार, और कर्नाटक के हासन में यौन शोषक प्रज्वल रेवन्ना की हार। भाजपा को दूसरा बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा, जहां भाजपा की 16 सीटें घटकर 25 से 9 हो गईं है और एनडीए की सीटें 25 घटकर 42 से 17 पर आ गईं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा ने अत्यंत भ्रष्ट और अनैतिक तरीके से शिवसेना और एनसीपी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की। राजस्थान में भाजपा–एनडीए ने पिछली बार जीती हुई 25 सीटों में से 11 सीटें खो दीं। इन्होंने कर्नाटक में 8 सीटें, पश्चिम बंगाल में 6 और हरियाणा व बिहार में 5–5 सीटें भी खो दीं। साथ ही झारखंड में 3 सीटें और पंजाब में 2 सीटें खो दीं, जहां यह एक भी सीट नहीं जीत पाई।

हालांकि, भाजपा ने देश के अन्य हिस्सों में इन हार की कुछ हद तक भरपाई की। इसने ओडिशा में 21 में से 20 सीटें जीतीं और राज्य विधानसभा चुनावों में भी वहां जीत हासिल की। टीडीपी और जन सेना के साथ भाजपा के गठबंधन एनडीए ने आंध्र में 25 में से 21 सीटें जीतीं और वहां राज्य सरकार भी बनाई। पिछले पांच वर्षों से भाजपा की केंद्र सरकार की दिशा पर चलने में बीजेडी और वाईएसआरसीपी के चापलूसी भरे रुख ने उन्हें कड़ी चोट पहुंचाई दृ यह सभी क्षेत्रीय दलों के लिए एक सबक है। जेडी(यू) के 'पलटूराम' के एनडीए में लौटने के कारण, उसने बिहार की 40 में से 31 सीटें जीतीं। भाजपा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों, गुजरात की 26 में से 25, असम की 14 में से 11, छत्तीसगढ़ की 11 में से 10, दिल्ली की सभी 7, उत्तराखंड की सभी 5 और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। चिंता की बात यह है कि भाजपा ने इस बार दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पहली बार, उन्होंने केरल में एक सीट (त्रिशूर) हाशिल कर ली है। केरल में भाजपा का वोट शेयर 13.0 से बढ़कर 16.7 प्रतिशत हो गया। तमिलनाडु में, हालांकि उन्होनें कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसका वोट शेयर 3.6 से बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गया और यह 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। तेलंगाना में, इसकी सीटें 4 से बढ़कर 8 हो गईं और इसका वोट शेयर 19.7 से बढ़कर 35. 8 प्रतिशत हो गया। आंध्र में, टीडीपी के साथ गठबंधन में, इसने 3 सीटें जीतीं और इसका वोट शेयर जो 1 प्रतिशत से भी कम था बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गया। कर्नाटक में इसका वोट शेयर 51.4 से घटा पर अभी भी फाफी बड़ा 46. 1 प्रतिशत है; लेकिन भाजपा के नए सहयोगी जेडी(एस) के 5.6 प्रतिशत मिलले तो एनडीए का कुल वोट 51.7 प्रतिशत हो जाता है।

भाजपा–एनडीए की सत्ता में वापसी के कारण

इन सात कारणों से भाजपा–एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौट सकी :

1. मोदी, शाह, योगी और भाजपा–आरएसएस द्वारा न केवल इस चुनाव में बल्कि सत्ता में पिछले दस वर्षों में चलाए गए उग्र सांप्रदायिक अभियान से पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ;

2. अडानी और अंबानी के नेतृत्व में कॉरपोरेट लॉबी के बड़े हिस्से का पूर्ण समर्थन और चुनावी बॉन्ड और अन्य माध्यमों से भाजपा के कॉरपोरेट साथियों से जुटाए गए धनबल का अश्लील एवं अभूतपूर्व उपयोग।

3. ईडी, सीबीआई और आय कर जैसी केंद्रीय एजेंसियों के बेशर्मी से दुरुपयोग, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, शिवसेना और एनसीपी जैसे राजनीतिक दलों को विभाजित करना, कुछ विपक्षी दलों के बैंक खातों को फ्रीज करना और जेडी(यू) और आरएलडी को अपने पाले में लाने के जरिए विपक्ष पर अभूतपूर्व हमले;

4. चुनाव आयोग का केंद्र सरकार के पालतू एजेंसी की तरह दुरुपयोग, मोदी और अन्य लोगों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की अनदेखी करना तथा चुनावों के संचालन में घोर विसंगतियाँ;

5. पिछले एक दशक से झूठ एवं गलत सूचना फैलाने में मुख्यधारा के गोदी मीडिया और भाजपा के सोशल मीडिया की घृणित, गुलामी वाली भूमिका;

6. केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए संगठित करने के व्यवस्थित प्रयास;

7. आरएसएस और संघ परिवार की दुर्जेय संगठनात्मक मशीनरी का उपयोग, जिसमें उनका बूथ–स्तरीय व्यवस्थित चुनाव प्रबंधन शामिल हैं।

इसके प्रचंड बहुमत में कमी भाजपा–एनडीए शासन द्वारा जनतंत्र और संविधान पर बेलगाम हमलों पर कुछ अंकुश लगाएगी। लेकिन नई सरकार के पहले कदमों से पता चलता है कि कुछ खास नहीं बदला। लगभग वही कैबिनेट, वही गृह मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वही लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने पिछले सत्र में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया था और फिर संसद में कई कठोर कानूनों को पारित करवाया था, विपक्ष के साथ वही टकराव, अल्पसंख्यकों पर वही हमले, अरविंद केजरीवाल और अब अरुंधति रॉय जैसे विरोधियों को उसी तरह निशाना बनाना। आने वाले केंद्रीय बजट में हम जल्द ही एक बार फिर इस शासन का नवउदारवादी और कॉर्पोरेटपक्षीय चेहरा देखेंगे। इसलिए, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा–आरएसएस सरकार के खिलाफ निरंतर और तीखा संघर्ष समय की मांग है।

इंडिया ब्लॉक की बढ़त

इंडिया ब्लॉक ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, बावजूद इसके कि वह पूरी तरहा से लड़ नहीं पा रहा था। इसके कई नेताओं और पार्टियों को केंद्र सरकार ने गंभीर रूप से निशाना बनाया। अधिक तैयारी और प्रयासों के साथ, यह जीत भी सकता था।

पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस और यूपीए/इंडिया द्वारा जीती गई सीटें और प्राप्त वोट प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार हैं: 2014 – 44 (19.3 प्रतिशत) और 59 (23.0 प्रतिशत); 2019 – 52 (19.5 प्रतिशत) और 91 (27.5 प्रतिशत); 2024 – 99 (21.2 प्रतिशत) और 234 (40.6 प्रतिशत)।

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि, हालांकि एनडीए द्वारा 292 और इंडिया द्वारा 234 जीती गई, जिस हिसाब से सीटों में संख्या का अंतर 58 है, लेकिन दोनों (एनडीए 42.5 प्रतिशत, इंडिया 40.6 प्रतिशत) के बीच वोट प्रतिशत में अंतर 2 प्रतिशत से कम का है।

यदि हम पिछले तीन लोकसभा चुनावों के उपरोक्त आंकड़ों को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस को

सीटों और वोट शेयर के मामले में फायदा हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय और अन्य दलों दोनों को ही कहीं अधिक फायदा हुआ है। प्रमुख राज्यों में, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया (हालांकि पिछले दो राज्यों में वाम दलों का प्रदर्शन खराब रहा।) मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

इंडिया गठबंधन की आंशिक सफलता के कारण

इंडिया गठबंधन की आंशिक सफलता इन सात कारकों के कारण थी:

1. एकता का माहौल बनाया गया और इंडिया गठबंधन के घटकों द्वारा सीटों के सफल समायोजन से वोटों के हस्तांतरण से उन्हें कई राज्यों में भाजपा के खिलाफ एकजुट व सीधी लड़ाई बनाने में मदद मिली;

2. अभियान लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रित था – बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, कृषि संकट, मजदूरों के मुद्दे और अन्य आजीविका प्रश्न;

3. उपरोक्त मुद्दों पर लोगों के संघर्ष – कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक और किसानों का विजयी संघर्ष, मजदूर वर्ग की आम हड़तालें, सीएए के खिलाफ संघर्ष, महिला पहलवानों का आंदोलन, अग्निवीर योजना का युवाओं द्वारा विरोध – इन सभी ने इंडिया की प्रगति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की;

4. मोदी शासन और हिंदुत्ववादी ताकतों से संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और नागरिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरों को उजागर करना;

5. सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के मुद्दों को उठाना, तथा दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचारों और हमलों में खतरनाक वृद्धि के मुद्दे उठाना;

6. उपरोक्त सभी कदमों से मेहनतकश लोगों और गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बड़े वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ;

7. विभिन्न स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों और उनके एंकरों का योगदान, जिनके लाखों दर्शक हैं, तथा अन्य सोशल मीडिया आउटलेट्स ने गोदी मीडिया का मुकाबला किया; कई सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज समूहों की सक्रिय भूमिका।

भाजपा नेताओं को गांव में घुसने से प्रतिबन्धित करने के लिए लगाया गया बोर्ड

वामपंथ की लगातार कमजोरी

वाम दलों ने इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीतीं, जबकि पिछली बार उन्हें 5 सीटें मिली थीं। सीपीआई (एम) ने 4, सीपीआई ने 2 और सीपीआई (एमएल) ने पहली बार 2 सीटें जीतीं। ये सीटें तमिलनाडु (4), बिहार (2), केरल (1) और राजस्थान (1) से आती हैं। हालांकि, 2009 के बाद से सभी लोकसभा चुनावों में वामपंथियों की लगातार कमज़ोरी बहुत चिंता और गहन आत्मनिरीक्षण का विषय है। इस लोकसभा चुनाव में भी केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तीनों वामपंथी गढ़ों में कमज़ोरी एक बार फिर दिखी है, साथ ही किसी अन्य राज्य में कोई ठोस स्वतंत्र राजनीतिक प्रगति करने में भी विफल रहे हैं। आमूलचूल सुधार के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

नई परिस्थिति में कार्य

विभिन्न जन संघर्षों, विशेषकर ऐतिहासिक किसान संघर्ष में परिलक्षित बढ़ते जन असंतोष का इन चुनावों में अच्छा प्रभाव पड़ा। भाजपा ने पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के कृषि जिलों में अपनी 38 मौजूदा सीटें खो दीं। मोदी दशक के दौरान लाभकारी एमएसपी की कमी और ग्रामीण मजदूरी में स्थिरता के साथ जारी ग्रामीण संकट ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के 159 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया।

इसके मद्देनजर, इस नई परिस्थिति में किसान सभा के लिए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

1. स्वतंत्र संघर्षों को व्यापक और तीव्र बनाना

मोदी शासन की सत्ता में वापसी का स्पष्ट अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में नीतियों की वही विनाशकारी कॉर्पोरेटपक्षीय और नवउदारवादी दिशा तीव्र होगी। हमारा जवाब पूरे देश में ज्वलंत कृषि मुद्दों पर अपने स्वतंत्र संघर्षों को कई गुना व्यापक और तीव्र बनाना होगा। यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि जब तक हमारी स्वतंत्र गतिविधियाँ और ताकत नहीं बढ़ेगी, हम एकजुट मंचों और संघर्षों पर वांछित प्रभाव नहीं डाल सकते।

2. स्थानीय मुद्दों को उठाना और जीतना

हमने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि लगातार संघर्षों द्वारा स्थानीय मुद्दों को उठाना और जीतना जन समर्थन हासिल करने व नए कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने और संगठन बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह निरंतर सक्रिय ग्राम इकाई समितियों की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। ग्राम समितियों की स्पष्ट जवाबदेही और उच्च समितियों द्वारा नियमित जाँच की जानी चाहिए।

3. संयुक्त संघर्षों को बढ़ावा देना

हाल के वर्षों में, हमारे पास एकजुट मंचों और एकजुट संघर्षों का समृद्ध अनुभव है। इनमें संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) और अन्य शामिल हैं। इन संयुक्त मंचों के संघर्षों ने कृषि आंदोलन की कुछ प्रमुख माँगों को जीतने में मदद की है, जैसे 2021 में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना और 2015 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस करना। कुछ राज्यों में भी संयुक्त संघर्षों की जीत हुई है। लेकिन कई प्रमुख कृषि मुद्दों का समाधान अभी भी होना बाकी है। उन्हें जीतने के लिए, हमें संयुक्त मंचों, संयुक्त संघर्षों और हमारी स्वतंत्र भागीदारी को मजबूत करना होगा।

4. मजदूर–किसान एकता की ओर

मजदूर–किसान एकता एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की हमारी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रव्यापी जेल भरो आन्दोलन और 9 अगस्त और 5 सितंबर 2018 विशाल दिल्ली रैलीयों के बाद से, सीआईटीयू, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन संयुक्त मजदूर–किसान कार्रवाइयों और एकजुटता कार्यक्रमों के लिए समन्वय कर रहे हैं।

सीआईटीयू, किसान सभा व खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त नेतृत्व में 5 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी मजदूर–किसान अधिवेशन और 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एक संयुक्त रैली आयोजित हुई। इसके बाद 24 अगस्त 2023 को एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) का एक और बड़ा संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तथा उसके बाद कई राष्ट्रव्यापी संयुक्त कार्रवाइयां हुईं, जिसमें लाखों मेहनतकश लोगों को लामबंद किया गया।

मज़दूर–किसान एकता बनाने की इस प्रक्रिया को राज्यों, ज़िलों और निचले स्तर तक ले जाना होगा। इसके अलावा, जैसा कि कॉमरेड बी टी रणदिवे कहते थे, इस प्रक्रिया को और गहरा करना होगा, एकजुटता के सिर्फ़ प्रतीकात्मक कार्यों से आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे के संघर्षों में विभिन्न प्रकार की ठोस मदद एवं समर्थन में खड़ा होना होगा।

5. कॉरपोरेट–सांप्रदायिक–तानाशाही शासन के खिलाफ वैचारिक लड़ाई

हमारे संघर्षों के व्यापक और तीव्र होने के साथ–साथ, आरएसएस–भाजपा के नेतृत्व वाले कॉरपोरेट–सांप्रदायिक –तानाशाही शासन के खिलाफ वैचारिक लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए, सभी स्तरों पर राजनीतिक–वैचारिक –संगठनात्मक अध्ययन शिविरों की एक श्रृंखला समय की आवश्यकता है।

हमारे संघर्षों में भाग लेने वाले लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें हमारे जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों के बारे में समझाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, हमें लोगों के दिल और दिमाग को जीतना होगा।

6. संगठन को मजबूत करना

अंत में, लेनिन के प्रसिद्ध कथन को ध्यान में रखते हुए, "सत्ता के लिए अपने संघर्ष में, सर्वहारा वर्ग के पास संगठन के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं है", हमें अपने अखिल भारतीय केंद्र से लेकर हमारी ग्राम इकाइयों तक सभी स्तरों पर संगठन को सुव्यवस्थित करने पर अधिकतम ध्यान देना होगा। दिसंबर 2022 में त्रिशूर में हमारे अखिल भारतीय सम्मेलन ने हमें दिशा दी है। हमें सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नियमित समीक्षा के साथ सभी स्तरों पर उस निर्देश को सख्ती से लागू करना होगा। संगठन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे कार्यकर्ताओं की पहचान, प्रशिक्षण, विकास और उनके काम की समीक्षा करना है। सभी स्तरों पर युवाओं और महिलाओं को किसान सभा में नामांकित करने व बढ़ावा देने पर तत्कालरूप से विशेष ध्यान देना होगा। यह हमारे भविष्य में उन्नति की सबसे पक्की गारंटी होगी।

□

आंदोलनों ने बनाया कॉरपोरेट–सांप्रदायिक भाजपा की हार का माहौल

– विजू कृष्णन

लोकसभा चुनाव के नतीजे जनांदोलनों की जीत और अधिनायकवादी, सांप्रदायिक–कॉरपोरेटपक्षीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की करारी शिकस्त के रूप में सामने आए हैं। एक दशक पहले नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले दिन से ही भाजपा शासन के खिलाफ लगातार संघर्ष में किसान और मजदूर सबसे आगे रहने वाली शक्ति रही है। विरोधी वर्गों के बीच इस तरह से सामंजस्य स्थापित करना कि वे एक साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ–साथ एक शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए एक–दूसरे के पूरक बन सकें, एक बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा थी। निरंतर संघर्षों की प्रक्रिया में, किसानों के आंदोलन ने यही हासिल किया। किसानों ने जल्दी ही यह समझ लिया कि वर्ग से ऊपर उठा कर व्यापक एकता बनाना समय की जरुरत हैं। एक साझा शोषक या नीतियों के खिलाफ व्यापक मुद्दे–आधारित एकजुटता बनाना इस अंधकारमय समय में जीत की पटकथा लिखने का एकमात्र तरीका था। किसानों ने हाल ही में संपन्न चुनावों में कॉरपोरेट–सांप्रदायिक भाजपा शासन के खिलाफ बढ़–चढ़ कर वोट दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया।

किसान संघर्षों ने बढ़ते कृषि संकट, किसान आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की आवश्यकता, कृषि और ग्रामीण विकास में सार्वजनिक निवेश आदि को केंद्र में लाने में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की। शासक वर्ग की दूसरी मुख्य पार्टी– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस ने भारत में नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के साथ–साथ व्यापार उदारीकरण, सब्सिडी में कटौती, इनपुट बाजार का विनियमन, वित्त उदारीकरण, निजीकरण, आय में कमी लेन वाली नीतियां, सामाजिक क्षेत्र के व्यय में कटौती आदि जैसी नीतियों की शुरूवात की थी, को अपनी नीतियों को फिर से पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अपने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि "भाजपा सरकार ने सुधारों की घड़ी को उलट दिया है। कांग्रेस इन विकृतियों को दूर करने और एक खुली, उदार बाजार अर्थव्यवस्था को बहाल करने का वादा करती है।" इसने कहा कि "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 नियंत्रण के युग से संबंधित है" और एक सक्षम कानून बनाने का वादा किया, जिसे "केवल आपात स्थिति के मामले में ही लागू किया जा सकता है"। इसने यह भी कहा कि यह "कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम को निरस्त करेंगें और निर्यात और अंतर–राज्यीय व्यापार सहित कृषि उपज में व्यापार को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करेगे।" यह यूपीए–2 शासन के तहत मॉडल संविदा कृषि अधिनियम (मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट) का वास्तविक अनुशरण था। यह वही कानून थे जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में तीन कृषि अधिनियमों के रूप में लाए गए थे। तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने 2024 के घोषणापत्र में पूरी तरह से यू–टर्न लेना पड़ा, यह भी इन संघर्षों द्वारा बनाए गए दबाव का परिणाम है।

क्रूर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ मुद्दा–आधारित एकता का निर्माण और दिसंबर, 2014 में इसे लाते ही भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा संघर्ष, जिसमें विपक्षी दलों ने संसद में भी इसका विरोध किया, के चलते सरकार को इसे वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। यह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार की पहली हार थी और निस्संदेह यह मुद्दा–आधारित एकजुट संघर्ष के मद्देनजर था। संघर्ष केवल इस जीत के साथ समाप्त नहीं हुआ। लोगों की आजीविका पर हमले, नोटबंदी से उपजे संकट, गौरक्षा के नाम पर हमले, निजीकरण व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री, वन अधिकारों के अतिक्रमण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तथा अन्य विभिन्न मुद्दों के खिलाफ संघर्ष शुरू किए गए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की मौजूदगी लंबे समय से रही है और उन्होंने दशकों तक नवउदारवादी नीतियों का मुकाबला करने में भूमिका निभाई है, उनके अनुभव से किसान आंदोलन को भी फायदा हुआ है।

जून 2017 में भाजपा शासित मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों की हत्या के बाद, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति नामक एक और मुद्दा–आधारित एकता का गठन हुआ, जिसने संघर्षों को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। मार्च 2018 में नासिक से मुंबई तक के किसान लॉन्ग मार्च ने लोगों का ध्यान खींचा तथा यह स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा को हराया जा सकता है और उनकी अजेयता केवल कॉर्पोरेट मीडिया एवं प्रचार की उपज है। भाजपा–मोदी किसान विरोधी का नारा भाजपा शासन के खिलाफ माहौल बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा। यहां तक कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पुलवामा की घटना और बालाकोट हवाई हमले के बाद उग्र–राष्ट्रवादी अभियान के दम पर जीतने में कामयाब रही, तब भी कोई यह नहीं भूला कि उससे पहले राज्य चुनावों में भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में हार गई थी।

नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में संघर्ष और भी तेज हो गए। भारी दमन और लगभग 750 साथियों की शहादत के बावजूद तीन कॉरपोरेटपक्षीय कृषि कानूनों और 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ किसानों एवं मजदूरों का ऐतिहासिक एकजुट संघर्ष आशा की किरण बनकर उभरा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को हार स्वीकार करने और कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, साथ ही उन्होंने श्रम संहिताओं को लागू करने का साहस भी नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा नई मुद्दा–आधारित एकता था, जिसने वर्गीय रेखाओं से ऊपर उठकर किसानों के एक बड़े हिस्से को एक साथ ला खड़ा किया। साथ ही कोई यह नहीं भूल सकता कि यह संघर्ष एक महामारी के बीच के समय में हुआ और जब बीमारी के डर ने बड़े तबके को कड़ी तलाबन्धी के तहत घरों के अंदर सीमित कर दिया था। उन्होंने पहले महामारी के डर, राज्य के दमन पर जीत हासिल की और इससे काफी हद तक अंतिम जीत में मदद मिली जब तीनों अधिनियम वापस ले लिए गए।

एसकेएम ने निर्णायक रूप से यह मत बनवाया कि, यह संघर्ष कॉर्पोरेट लूट के विरुद्ध है; यह मोदीनी मॉडल के खिलाफ है, जिसमें किसानों को सीधे अडानी और अंबानी जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा किया गया था और उन्हें सत्तारूढ़ शासन के कॉरपोरेट साथियों के रूप में दर्शाया गया , जिनके मुनाफ़े के लिए नरेंद्र मोदी लाखों किसानों व मज़दूरों के हितों की बलि देने को तैयार थे। इस कथन को विपक्षी दलों ने भी आगे बढ़ाया और भाजपा की चुनावी हार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुज़फ़्फ़रनगर किसान–मज़दूर महापंचायत ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मज़दूरों और किसानों की एकता से विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडे को हराया जाएगा। एसकेएम ने भाजपा को सजा दो / पनिश बीजेपी का आह्वान किया जिसे पूरे देश में चलाया गया और एसकेएम–जेपीसीटीयू ने भाजपा की कॉरपोरेटपक्षीय, सांप्रदायिक नीतियों को उजागर करने वाले कई अभियान चलाए। अग्निवीर योजना, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहा और अन्य मुद्दों पर अभियान चलायें गया।

पंजाब और हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार गाँवों में भी नहीं घुस सके क्योंकि उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर साहित्य, पोस्टर छापें गए और अभियान चलाया गया। लखीमपुर खीरी की घटना के लिए जिम्मेदार अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया गया, जहां उनके बेटे की गाड़ी ने 5 किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया था। यह उल्लेखनीय है कि ये संघर्ष, ज्यादातर निष्क्रिय दर्शक रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थे।

चुनाव परिणाम भी इन सतत संघर्षों और अभियानों की प्रभावी भूमिका की गवाही देते हैं। संघर्ष के मुख्य केंद्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की कई ग्रामीण सीटों पर भाजपा बुरी तरह हारी। पांच राज्यों

उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र में भाजपा ने 38 सीटें खो दीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और सबसे महत्वपूर्ण लखीमपुर खीरी में हारी, जहां से अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए। झारखंड में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। पंजाब में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी और हरियाणा में उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ।

राजस्थान में जहां उसने पिछले चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थीं, वहां किसानी पट्टी में भाजपा को 11 सीटों का नुकसान हुआ। चूरू निर्वाचन क्षेत्र से माकपा ने विधानसभा चुनावों में 1,40,000 से अधिक मत हासिल किए थे, गंगानगर में लगभग एक लाख, बीकानेर में लगभग 70,000, सीकर में एक लाख और झुंझुनू, नागौर आदि में भी अच्छे वोट मिले थे। यह किसान सभा और एसकेएम के संघर्ष ही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ भारी विरोध हुआ। किसान सभा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमरा राम, जो किसान संघर्ष के मुख्य नेताओं में से एक थे और जिन्होंने 13 महीने तक शाहजहांपुर सीमा पर संघर्ष का नेतृत्व किया था को सीकर से इंडिया गठबंधन समर्थित माकपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल हुई।

महाराष्ट्र की प्याज पट्टी में दो केंद्रीय मंत्रियों की हार सहित, एनडीए ने 12 सीटें खो दीं और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिला। यह वही पट्टी है जहां व्यापक स्तर पर किसानों के मुद्दों को उठाते हुए किसान लांग मार्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि डिंडोरी लोकसभा सीट पर किसान सभा के नेता और माकपा के पूर्व विधायक जे.पी.गावित ने अपना नाम वापस ले लिया और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले दो विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत माकपा के एक लाख से अधिक वोट थे। पालघर के एक अन्य लोकसभा क्षेत्र में दहानू विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जिससे किसान सभा के नेता और माकपा के मौजूदा विधायक विनोद निकोल आते हैं। माकपा ने भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया, हालांकि यह रणनीति सफल नहीं मिली। विदर्भ में, जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने अपर मजबूर हुए है, वहां अकेले अमरावती में पिछले 6 महीनों में 557 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। अमरावती सहित छह अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने चुनाव जीता है।

बिहार में भी एसकेएम के आह्वान को लगातार लागू किया गया है। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव, जो संयुक्त संघर्ष के एक महत्वपूर्ण नेता भी है कॉमरेड राजाराम सिंह और इसके एक अन्य नेता कॉमरेड सुदामा प्रसाद इंडिया समर्थित सीपीआई–एमएल लिबरेशन के उम्मीदवारों के रूप में काराकाट और आरा से चुने गए। महाराष्ट्र में भाजपा ने खेती वाले इलाकों में 12 सीटें खो दीं। इंडिया समर्थित सीपीआई–एम उम्मीदवार सच्चिदानंदम, तमिलनाडु के डिंडीगुल से 4 लाख से अधिक वोटों से जीते, वो अखिल भारतीय किसान सभा के नेता भी हैं। अगर अन्य राज्यों पर भी नजर डाले तो इन में भी संघर्षों का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भाजपा और एनडीए ने मुख्य रूप से ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 159 सीटें खो दी हैं।

लोकसभा चुनावों में अधिनायकवादी कॉर्पोरेट–सांप्रदायिक भाजपा को गंभीर झटका लगने पर कुछ व्यक्तियों को "उद्धारकर्ता" के रूप में ताज पहनाने की होड़ मची हुई है। कुछ लोग व्यक्तिगत राजनीतिक नेताओं को श्रेय देने में जल्दबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर्स या स्वतंत्र पत्रकारों और कई अन्य लोगों की भी प्रशंसा की है, जिन्होंने दक्षिणपंथी व कॉर्पोरेट गोदी मीडिया के राजनीतिक प्रचार के खिलाफ अभियान चलाया। ऐसे व्यक्तियों और विपक्षी दलों के प्रयासों ने निस्संदेह भाजपा के खिलाफ लड़ाई में भूमिका निभाई है और वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। पर इस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण दोष है जो आंदोलनों के सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है, जिसने वास्तव में सबसे पहले यह विश्वास पैदा किया कि नरेंद्र मोदी अजेय नहीं हैं।

युवाओं, छात्रों, महिलाओं, शोषितों के अन्दोलानों और सीएए के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्षों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असहमति की निडर आवाज़ों ने, जिनमें से कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं, निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हजारों गुमनाम लोग जिन्होंने संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से काम किया है, उन्हें भी नहीं भुलाया जा सकता। अधिनायकवादी भाजपा को मिली यह महत्वपूर्ण हार ध्रुव राठी, रवीश कुमार, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं, नागरिक समाज और अन्य लोगों के प्रयासों का परिणाम है। किसानों और मजदूरों के आंदोलन ही वह प्रेरक शक्ति थे, जिसने माहौल और आत्मविश्वास पैदा किया कि जीत संभव है।

भारतीय आम चुनावों पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन का प्रभाव

– अमराराम से शिंजनी जैन की खास बातचीत

भारत की लोकसभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। परिणाम सत्तारूढ़ गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेतृत्व वाले विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) दोनों के लिए चमत्कार से कम नहीं रहे हैं। 400 सीटों के साथ सत्ता में वापस आने का दावा करने वाली भाजपा 2019 के चुनावों में मिली 303 सीटों से घटकर स्पष्ट बहुमत से भी काफी कम 240 सीटों पर सिमट गयी। जबकि विपक्ष ने कांग्रेस के साथ अपनी सीट हिस्सेदारी में काफी सुधार किया। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटों से 2024 में 99 सीटों तक अपनी सीट हिस्सेदारी को लगभग दोगुना कर दिया।

इस साल की शुरुआत में अपने एक पिछले लेख में, इस लेखक ने तर्क दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के माध्यम से भारत के हिंदू बहुमत को अपील करने के लिए डिजाइन किए गए और धार्मिक रूप से गरमाए गए माहौल के बीच, किसान आंदोलन की दूसरी लहर ने एक बार फिर मोदी की अजेयता की छवि को धूमिल कर दिया। किसान आंदोलन का प्राथमिक प्रभाव वास्तविक मुद्दों – बेरोजगारी, महंगाई, भूख, किसानों की आत्महत्याओं – को वापस सामने लाना था। इसके अलावा, तब किसान आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता बादल सरोज ने कहा था कि, 'मोदी राज के खिलाफ हुए किसान आंदोलन ने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ हद तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राजनीतिक विपक्ष को मजबूत किया है।'

आम चुनावों के परिणाम इस विश्लेषण को कमोबेश सही साबित करते है। एक बार फिर सरकार बनाने के बावजूद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी शेयर में काफी गिरावट आई है. सबसे चौंकाने वाली बात अयोध्या (राम मंदिर स्थल) में भाजपा की हार है, जहां इसका दो बार का सांसद इस बार समाजवादी पार्टी से हार गया है।

इन नतीजों के बाद, मैंने भारत की क युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता अमरा राम से बातचीत की है। वे इंडिया ब्लाक के साझे प्रत्याशी के रूप में सीपीआई (एम) की टिकिट पर राजस्थान के सीकर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। अमरा राम अखिल भारतीय किसान सभा (ए आई के एस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत की क युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं।

उनके साथ इस विशेष साक्षात्कार का एक हिस्सा इस प्रकार है

अमरा राम– सीकर में श्री कल्याण गवर्नमेंट कॉलेज में एक छात्र के रूप में, मैंने छात्र मुद्दों पर लामबंद हुए छात्र संगठनों के साथ काम किया। श्री कल्याण गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और मैं वहां छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद मैं दो बार राजस्थान के मुंदवाड़ा में ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) के सरपंच (अध्यक्ष) के रूप में चुना गया। इसके बाद, मैंने चार बार विधान सभा के सदस्य (एमएलए) के रूप में कार्य किया। 1993, 1998 और 2003 में मैं राजस्थान विधानसभा के धोद निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। इस सीट के आरक्षित हो जाने के बाद 2008 में राजस्थान विधानसभा के दांतारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चैथी बार विधायक चुना गया।

एक विधायक के रूप में, मैंने लगातार राज्य विधान सभा में किसानों, छात्रों, खेत मजदूरों, श्रमिकों और राजस्थान के आम लोगों के मुद्दों को उठाया। जब सरकार ने हमारी मांगों की अनदेखी की, तो हमने सड़कों पर जन आंदोलनों के माध्यम से उन्हीं मुद्दों को उठाया। चाहे बिजली बिल का मुद्दा हो या सिंचाई का; 2004-05 के दौरान सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर आंदोलन हुआ जिसमें 8 किसान शहीद हो गए थे, 2017-18 के दौरान किसान आंदोलन जब सरकार को किसानों की कर्जमाफी लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हमने इन मुद्दों को राज्य विधानसभा के साथ-साथ सड़कों पर भी उठाया।

मैं तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के दौरान किसानों

के आंदोलन में भी शामिल था, जिसमें किसानों ने एक साल से अधिक समय तक संघर्ष किया और आखिरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने के लिए एक कानून बनाएंगे। हालांकि, आज तक भी ऐसा नहीं किया गया है। 2020-21 के दौरान किसानों का यह आंदोलन ऐतिहासिक रहा है। आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में काफी बड़े पैमाने पर महसूस किया गया है, जिन क्षेत्रों से हमने किसान आंदोलन के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी और समर्थन देखा है, वहां यह राजनीतिक असर में भी दिखा।

राजस्थान में 2014 और 2019 के आमचुनावों के दौरान, सभी 25 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जीती थीं। इनमें से विपक्ष ने इस बार 11 सीटें जीती हैं। सीकर निर्वाचन क्षेत्र, जहां से मैं चुना गया हूं, इन 11 सीटों में से एक है। हरियाणा में विपक्ष ने 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, ने 37 सीटें जीती हैं। यह भाजपा के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने 400 से अधिक सीटें जीतने के बड़े-बड़े दावे किए, वे सिर्फ 240 सीटें जीतने के आसपास आए हैं। इस चुनाव के नतीजों पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष का ऐसा असर पड़ा है।

शिंजनी जैन – क्या आप हमें संक्षेप में2020-21 के दौरान हुए किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि बता सकते हैं? यह आंदोलन इतना बड़ा और ऐतिहासिक कैसे हो गया?

अमरा राम–देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसानों को विरोध करने पर सरकारी दमन का सामना करना पड़ा है। साल 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसानों को गोली लगने के बाद किसान आंदोलन बड़ा होने लगा। इस आंदोलन में किसान अपनी लहसुन की फसलों के कम दाम का मुद्दा उठा रहे थे। जबकि फसल की खेती की लागत 100 रुपये प्रति किलोग्राम थी और फसल को खेती करने के लिए लगाया गया श्रम इसके अतिरिक्त था लेकिन कोई भी 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से फसल खरीदने के लिए भी तैयार नहीं था। जब किसानों ने अपनी फसलों के उचित और लाभकारी मूल्य की मांग की, तो मु यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उन्हें गोलियों से जवाब दिया, और 6 किसान शहीद हो गए। इस हमले के बाद, देश भर के अलग अलग किसान संगठनों को अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा उनके संघर्ष में एक साथ आने के लिए लामबंद किया गया था। गैर-लाभकारी मूल्यों, भूमि अधिग्रहण और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ – अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (ए आई के एस सी सी) एक संयुक्त आंदोलन बनाया गया था। बाद में यह और बड़ा होकर संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में सामने आया।

भारत सरकार ने आंदोलन को अलग-अलग तरीकों से तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने आंदोलन को सांप्रदायिक के रूप में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को 'नक्सली', 'माओवादी', 'भाड़े के' और 'चीन और पाकिस्तान द्वारा समर्थित' के रूप में भी लेबल किया। लेकिन किसान डटे रहे और पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के सभी आह्वान का पालन करते रहे। एआईकेएस, जो एक राष्ट्रीय संगठन था, ने किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किया। अंत में, किसानों ने तानाशाही सरकार को हराया और उन्हें काले कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, मोदी सरकार ने हमें दिसंबर 2021 में जो लिखित गारंटी दी थी, उसे अभी भी लागू नहीं किया गया है।

2014 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने 400 से अधिक किसानों की सभाओं में वादा किया था कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी दी जायेगी, युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी और 100 दिनों के भीतर सभी भारतीयों को उनके बैंक खातों में लाखों रुपये मिलेंगे क्योंकि विदेशी खातों से काला धन भारत वापस लाया जाएगा। इन वादों को पूरा करने के बजाय, उन्होंने ठीक इसके विपरीत काम किया। इन चुनावों के जरिए देश के युवाओं, किसानों और संघर्ष संगठनों ने सरकार को जवाब दिया है।

शिंजनी जैन – क्या आप हमें बता सकते हैं कि देश में कृषि संकट की सीमा और प्रकृति क्या है?

अमरा राम – सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अमेरिकी साम्राज्यवाद से प्रेरित उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाया। उदारीकरण और बाजारों के खुलने के बाद, किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृषि आदानों के सभी उत्पादन और खरीद बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल कृषि-व्यवसायों और बहुराष्ट्रीय निगमों को दे दिये गये। ऐसा न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में किया गया है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप किसान कर्ज में डूबते चले गये। और परिणामत: लाखों की सं या में आत्महत्या करने लगे। देश के युवा बेरोजगार हो गए, और व्यवसाय नष्ट हो गए। उदारीकरण मॉडल ने कृषि आयात को भी बढ़ावा दिया और किसानों को उनकी फसल के लिये दी जाने वाली कीमतों में गिरावट आई। बड़े निगम और कृषि-व्यवसाय समृद्ध हुए और किसान कर्ज में घिर गए। इसके बावजूद बिजली और पीने के पानी के मुद्दे पर जब उन्होंने मांगें उठाई तो उन पर गोलियां भी चलाई गई। कृषि उपज की बढ़ती कीमतें एक ऐसा मुद्दा था जिसने देश भर के किसानों को प्रभावित किया। चाहे वह खाद्यान्न, सब्जियां, फल उगाने वाला किसान हो या काजू और किशमिश जैसी नकदी फसलों की खेती करने वाला किसान हो।

सभी प्रकार की फसलों की खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है और किसानों को उनकी लागत का पारिश्रमिक भी नहीं मिल रहा है। किसानों के पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विश्व बैंक और आईएमएफ चाहते थे कि किसानों को कृषि से बाहर कर दिया जाए। वे चाहते थे कि कृषि क्षेत्र में बड़े कृषि-निगमों का वर्चस्व हो और वे चाहते थे कि किसान इन निगमों के लिए दिहाड़ी मजदूर बनें। उदारीकरण और निजीकरण की इन्हीं नीतियों का ही परिणाम है कि न केवल भारत में, बल्कि इंग्लैंड और यूरोपीय देशों सहित दुनिया भर के किसान साम्राज्यवादी देशों द्वारा लागू की गई इन नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

शिंजनी जैन – किसान आंदोलन अन्य क्षेत्रों और शहरी आबादी के लोगों से कैसे जुड़ा और उन्हें आकर्षित किया?

अमरा राम – कृषि कानून केवल कृषि क्षेत्र और इस क्षेत्र के भीतर कार्यरत लोगों के लिए हानिकारक नहीं थे। इन कानूनों के पीछे विचार यह था कि कृषि उपज के भंडारण की अनुमति का न केवल किसानों को लूटने के लिये उपयोग किया जाये बल्कि बड़े पैमाने पर इससे आम लोगों को भी लूटा जाए। यह आंदोलन अडानी और अंबानी जैसे बड़े निगमों की लूट के खिलाफ भी था, रिलायंस समूह जैसे दिग्गजों द्वारा चलाए जा रहे टोल माफिया के खिलाफ भी था। पूरे एक साल के लिए टोल बहिष्कार कर दिया गया था। इस संघर्ष का लाभ आम आदमी को भी मिला।

कृषि कानून बनने से पहले भी किसानों की स्थिति खराब थी कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा था। कल्पना कीजिए कि खाद्यान्न और अन्य आवश्यक फसलों के भंडारण की अनुमति देने वाले कानूनों के लागू होने के बाद आपात जरूरत के समय लोगों की स्थिति क्या होगी। स्वाभाविक है कि इसका असर न केवल किसानों पर पड़ेगा बल्कि देश के श्रमिकों पर भी पड़ेगा। यह आंदोलन न केवल किसानों द्वारा बल्कि देश के श्रमिकों द्वारा भी लड़ा गया था। अंतत: आंदोलन ने 'जन आंदोलन' का रूप हासिल कर लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार का नेतृत्व करने वाले तानाशाह, जिसने कभी किसी की नहीं सुनी, को इस जन आंदोलन की एकता के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा।

शिंजनी जैन – इस आंदोलन से चुनावी परिणामों पर जनांदोलनों के प्रभाव के बारे में हम क्या सीखते हैं?

अमरा राम – इस आंदोलन से पहली सीख यह मिली कि एकजुट होना होगा, हुए भी; सभी किसान समूह अलग-अलग झंडे, विविध विचारधाराओं और नेताओं के साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आये। इस संघर्ष का दूसरा लाभ यह हुआ कि 2014 और 2019 में अलग-अलग चुनाव लड़ने वाली सभी क युनिस्ट और सेक्युलर ताकतों ने इस बार मिलकर चुनाव लड़ा और भाजपा को पिछले चुनावों के दौरान 303 सीटों से 240 सीटों पर नीचे ला दिया। भारत में, आज भी, अधिकांश मतदाता कृषि क्षेत्र में हैं। चाहे वह किसान हो या दिहाड़ी मजदूर। अधिकांश मतदाता अब समझ गए हैं कि उनकी परेशानियों के पीछे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। जहां भी सामूहिक आंदोलन होता है, हम देखते हैं कि चुनावी परिणाम इससे प्रभावित होते हैं। इस बार हमने देखा है कि जो लोग 370 और 400 सीटें हासिल करने का दावा कर रहे थे, वे बहुमत के लिए आवश्यक 272 की सं या तक भी नहीं पहुंचे हैं, उन्हें 240 पर रोक दिया गया है। मेरा मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप करने के उनके सभी अलोकतांत्रिक प्रयासों के बावजूद भाजपा को यह झटका है। यह उनके काले कानूनों और कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों का जनादेश है।

हम जानते हैं कि विपक्ष अभी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन विपक्ष की सीटें दोगुनी हो गई हैं. कांग्रेस ने अपनी सीटों को दोगुना कर 99 कर लिया है, और यूपी (काफी अधिक निर्वाचन क्षेत्रों वाला सबसे बड़ा राज्य) से समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी सीटों को 5 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।

अब से कोई भी आगे की सरकार देश के किसानों से खिलवाड़ करने से हिचकिचाएगी।

शिंजनी जैन – किसान आंदोलन के दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं? आप संसद में और उसके बाहर क्या मुद्दे उठाएंगे?

अमरा राम – आम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पंजाब के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया था। हालांकि, उन्हें हरियाणा सीमा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। बाधाओं के बावजूद, किसान पीछे नहीं हटे। वे अपनी मांगों के लिए लड़ने के लिए फिर से वापस आ गए। सरकार ने दिसंबर 2021 में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। बिजली विधेयक, 2020, जो किसानों के विरोध के दौरान विवादास्पद मुद्दों में से एक था, 2024 विद्युत (संशोधन) अधिनियम के नाम से पारित कर दिया गया। नए कानून के तहत बिजली उत्पादन और वितरण का ठेका बड़े निगमों को दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब बिजली केवल अमीरों को उपलब्ध होगी, इस देश के गरीबों को नहीं।

इस आंदोलन का भविष्य किसानों के मुद्दों को केवल संसद में उठाने पर निर्भर नहीं है, बल्कि सड़कों पर अपना संघर्ष जारी रखने पर भी है। दिसंबर 2021 में भी, सरकार द्वारा किए गए वादों के कारण आंदोलन को केवल स्थगित किया गया था। फरवरी 2024 में, किसानों ने आंदोलन फिर से शुरू किया और दिल्ली के राम लीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की गई। पंजाब के किसान अभी भी पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में भी आंदोलन को मजबूत करने के लिये संघर्ष करना जारी रखेंगे जब तक कि हम एक ढांचागत परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो जाते। □

भारत की खेती और किसान : दुनिया के सामने मोदी की डींग और धरती का सच

– बादल सरोज

पिछले 10 वर्षों में सिर्फ अडानी, अम्बानी और 271 डॉलर अरबपति ही अपरम्पार समृद्ध नहीं हुए हैं , भाषा भी नयी नयी व्यंजनाओं, रूपकों और मुहावरों से धनवान और मालामाल हुई है, यह तो मोदी जी का बड़प्पन है कि वे इस बात का कतई अभिमान नहीं करते कि उन्होंने किस तरह अब तक की प्रचलित, सार्वभौमिक और अब तक सर्वकालिक मानी जाने वाली उक्तियों को भी परिवर्धित कर दिया है। जैसे अब तक दुनिया यह मानकर बैठी थी कि झूठ केवल तीन तरह के होते हैं ; झूठ, सफ़ेद झूठ और आंकड़ों का झूठ!! पिछले 10 साल ने दुनिया की इस गलत और अधूरी धारणा को तोड़ दिया और इसमें झूठ के दृ अब तक दृ दो नए प्रकार और जोड़ दिए ; एक आई टी सैल के दावे का परम झूठ दूसरा मोदी जी की हांकी डींग का चरम झूठ। पिछली 2 अगस्त को नई दिल्ली में उन्होंने इसी चरम झूठ का परम प्रवाह किया और अन्तराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के 6 दिन चलने वाले सम्मेलन में उन्होने बिना इस बात की परवाह किये कि वे उन अर्थशास्त्रियों के बीच बोल रहे हैं जिनकी विशेषज्ञता ही इस क्षेत्र में है, भारत में कृषि के क्षेत्र में ऐसे दावों की झड़ी लगा दी दृ जो यथार्थ के आसपास होना तो दूर की बात रही, उसके ठीक उलटे थे।

सिर्फ मोदी ही हैं जो यह कर सकते हैं ; वे वैज्ञानिकों को विज्ञान पढ़ा सकते हैं, बिल गेट्स को कंप्यूटर कनेक्टिविटी पढ़ा सकते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र के टॉपर्स को पढने की टिप्स दे सकते हैं, खिलाड़ियों को खेल सिखा सकते हैं तो कृषि अर्थशास्त्रियों को ज्ञान देना तो उनके बांये हाथ का खेल है। हालांकि इतना सब बोलने की भी उन्हें जरूरत नहीं थी ; सिर्फ अपने कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान को ही खड़ा कर देते तो कृषि के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां शब्दशः मूर्त रूप में साकार हो जातीं। दुनिया बिन कहे ही समझा जाती कि जो सरकार फसल के दाम मांगने के संगीन जुर्म में 6 किसानो की दिनदहाड़े हत्या करवाने वाले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का कृषिमंत्री बना सकती है उसका किसान, खेती और किसानी के प्रति प्रेम कितना प्रबल है। न होता तो राज्यसभा में दिया गया उनका वह दम्भी कबूलनामा ही दिखा देते जिसमे वे ज़रा सी भी लज्जा या पश्चाताप के बिना एकदम शोहदों की तरह उन 6 युवा किसानों की पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं को इस आधार पर जायज ठहरा रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी किसानों पर गोलियां चलवाई जाती रही हैं। बहरहाल फिलहाल उनके द्वारा किये गए दावों की सच्चाई पर ही एक नजर डाल लेते हैं।

अपने भाषण में वे भारत की खेती और किसानी और उसके 2000 साल पुराने ग्रंथ 'कृषि पाराशर' का जिक्र करते हुए दावा कर रहे थे मगर उनके दावे ही इस बात की चुगली खा रहे थे कि जिसे वे कथित 2000 साल पुराना ग्रन्थ बता रहे थे, उस 'कृषि पाराशर' की किताब में मोदी और उनकी सरकार ने झांका तक नहीं है। यदि उस का पहला पन्ना ही पलट लिया होता तो उन्हें पता होता कि दो हजार साल नहीं बल्कि आठवीं सदी के बाद महर्षि पराशर द्वारा लिखे गए,

कृषि के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताने वाले इस ग्रन्थ की शुरुआत में ही कहा गया है कि 'अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है; अन्न ही समस्त अर्थ का साधन है। देवता, असुर, मनुष्य सभी अन्न से जीवित हैं तथा अन्न धान्य से उत्पन्न होता है और धान्य बिना कृषि के नहीं होता। कृषि बिना कृषक के नहीं होती।' और उस किसान की दशा क्या है ? यह जिस वक़्त मोदी ऊंची ऊंची हांक रहे थे उसी वक़्त महाराष्ट्र का सिर्फ एक जिला अमरावती बता रहा था। यहाँ के किसान मात्र 6 महीने में 557 किसान आत्महत्या करके किसानों की दुश्वारी के आत्मघाती होने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे। यही नहीं पूरे विदर्भ में आत्महत्याओं की झड़ी सी लगी हुयी थी। समस्या सिर्फ विदर्भ की ही नहीं थी, कर्नाटक भी महज 15 महीनों में 1182 किसान आत्महत्याओं के साथ नया रिकॉर्ड बना रहा था। बाकी देश में भी कहीं कम कहीं ज्यादा इसी तरह की मौतों की खबरें आयी और कारपोरेट मीडिया द्वारा दबाई जा रही थीं। खुद सरकार अपने बजट के पहले दिए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में कबूल कर रही थी कि देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर लगातार गिरती जा रही है और गिरते गिरते 2022 दृ 23 की लगभग 5 प्रतिशत से गिरकर एक चौथाई रह गयी है और 1.4 तक आ गयी है। अगर यही खेती और किसान के बेहतरी है तो जाहिर है कि बदतरी के लिए कोई नया शब्द ढूंढना होगा।

दुनिया के 75 देशों से आये कोई 1000 कृषि अर्थशास्त्रियों का मोदी जिन भारत के 12 करोड़ किसानों, 3 करोड़ से अधिक महिला किसानों, 3 करोड़ मछुआरों और 8 करोड़ पशुपालकों की ओर से सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत' करते हुए हांक रहे थे कि यहाँ 50 करोड़ पशुधन हैं। मैं आपका कृषि और पशु–प्रेमी देश भारत में स्वागत करता हूं।" उन्ही मोदी और उनकी पार्टी की सरकारों में पशुपालकों और उसके लिए पशु खरीद कर लाने वालों की किस तरह से निर्मम हत्याएं की जा रही थीं, यह तकरीबन हर सप्ताह की खबर बन रही थी। उसी देश में जब मोदी की किसान विरोधी नीतियों को वापस लौटाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 750 किसान शहादतें दे रहे थे तब मोदी बांसुरी बजा रहे थे।

मोदी ने कहा कि आज 'भारत खाद्य अधिशेष वाला देश है, दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी, चाय और मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।' उन्होंने उस समय को याद किया जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, जबकि आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है।' वे जिस भंडारों में भरे, अनबिके अनाज के अधिशेष के लिए अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे थे यह दरअसल वह अनाज है जो भूखे भारतीयों के पेट में पहुंचना था, मगर महंगी कीमतों में उसे खरीदने की ताकत न होने के चलते गोदामों में ही सड़ता रहा और दुनिया के दूसरे देशों में शराब और ईंधन बनाने के लिए भेजा जाता रहा – नतीजा यह निकला कि जब

वे पूरी दुनिया का पेट भरने और उसका सही तरीके से पोषण करने का दावा ठोक रहे थे तब खुद उनका देश भारत भुखमरी की त्रासदी के आंकड़ों में 125 देशों में से 111 वें स्थान पर अपनी कातर स्थिति दर्ज करा रहा था। उनकी सरकार इन आंकड़ों का खंडन कर रही थी मगर दूसरी तरफ देश के 80–85 करोड़ नागरिकों को 5 किलो अनाज हर महीने देकर उन्हें ज़िंदा रखने को अपनी उपलब्धि बताकर इस भयानक सच्चाई को कबूल भी कर रही थी।

उनका दावा था कि 'उनकी आर्थिक नीतियों के केंद्र में कृषि है' वह कितनी है इसे महज कुछ दिन पहले संसद में पेश किया गया उनकी सरकार का बजट बता रहा था जिसमे कृषि और उससे जुड़े कामों के बजट में मात्र पिछले साल की तुलना में 21. 2 प्रतिशत की कमी कर दी गयी थी। गरीब किसानों की मदद करने वाले ग्रामीण रोजगार गारंटी क़ानून को मखौल बनाकर रख दिया गया था। उनकी आर्थिक नीतियों के केंद्र में कृषि किस तरह से है इसका प्रमाण वे तीन कृषि क़ानून थे जिन्हें किसानों ने पानी 378 दिन की लड़ाई के बाद वापस कराया था और जिन्हें पिछले दरवाजे से वापस लाने की तिकड़में आज भी जारी हैं। जिन 'छोटे किसानों को मुख्य ताकत और खाद्य सुरक्षा का आधार' बताते हुए उनके लिए पिछली 10 वर्षों में 1900 नई जलवायु अनुकूल किस्मे सौंपने की डींग वे हांक रहे थे उसकी असलियत जहां वे भाषण दे रहे थे उससे ज़रा सी दूरी पर, राजधानी का ही विस्तार माने जाने वाले हरियाणा में किसान अपनी कपास की बर्बाद फसल को आग लगाकर, उस पर ट्रेक्टर चलाकर बयान कर रहा था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के झूठे दावों वाले बी टी कॉटन के बीज से उपजी तबाही के दंश झेल रहा था। इन छोटे किसानों के लिए वाहवाही लूटने वाले मोदी यह सच जानबूझकर छुपा गए कि इनमे से ढाई से तीन हजार किसान हर रोज अपनी खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि अब वह उनके लिए गले का फंदा बन चुकी है। यह भी कि अब

इनका बड़ा हिस्सा – बहुत बड़ा हिस्सा दृ ऐसा है जो बजाय बड़े किसान की जमीन बटाईदारी पर लेने के औने पौने दामों में अपनी जमीन उसे दे रहा है। उनकी आर्थिक नीतियों के केंद्र में यकीनन कृषि है लेकिन विकास के लिए नहीं विनाश के लिए; यह वह आर्थिक नीतियाँ हैं जिन पर चलते हुए हर वर्ष लाखों एकड़ खेती की जमीन को दरबारी कारपोरेटियों को सौंप कर किसान को बेदखल और कृषि को तबाह किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा किये जा रहे है जिनका असर आने वाली कई पीढ़ियों को भीषण गरीबी की बाढ़, रोजगारहीनता के सूखे, यहाँ तक कि अठारहवीं सदी के भयानक अकालों के रूप में भी भुगतना पड़ सकता है।

बहरहाल, भले काले चावल के बहाने सही उनकी जुबान पर मणिपुर का नाम तो आया। लगता है उन्हें सिर्फ 'सुपर फूड्स' के नाम पर मार्केटिंग कर रही कारोबारी कंपनियां के विज्ञापन ही दिखते है; अंडमान से कश्मीर, बिहार और बाकी ऐसे प्रदेश नहीं दीखते जहां किसानों द्वारा उपजाए गए चावल की कीमतें 1000 से 1200 रुपयों की शर्मनाक नीचाईयाँ छू रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने 10 साल के राज में 10 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित करने का काम किया है। इसकी असलियत उनके ही विभागों की रिपोर्ट्स बता रही थी : केन्द्रीय जल आयोग कह रहा था कि देश के 150 बड़े जल स्रोत अपनी क्षमता से 27 प्रतिशत नीचे चले गए हैं। कारपोरेट कंपनियों के अंधाधुंध दोहन से भूजल स्तर पाताल की नीचाई तक जा पहुंचा है और आधा भारत बाढ़, एक तिहाई भारत सूखे की चपेट में है, कर्नाटक में चार दशक का सबसे भयानक सूखा है। बिगड़ते मौसम के चलते तमिलनाडु के किसान नारियल के पेड़ काटने के लिए मजबूर हैं और इसी जनवरी और मार्च के बीच मौसम के उतार चढाव के चलते चाय के उत्पादन में 2 करोड़ 10 लाख किलोग्राम से अधिक की कमी आयी है। देश के 9 प्रदेशों में 20 से 49 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है वहीं 6 राज्य अतिवृष्टि के शिकार बने हैं। ऐसे में चारों तरफ हरा हरा अगर किसी को दिख रहा है तो वे मोदी ही हैं – बाकी देश तो उन्हें चुने का दंड भुगतने का अभिशाप अपनी खेती के दिनों दिन अलाभकारी होने के रूप में झेल रहा है।

वे जिन जिन नयी तकनीकों और प्रयोगों को गिना रहे थे वे ज्यों ज्यों दिन की बात की गयी, त्यों त्यों रात हुई जैसे थे। जैसे उन्होंने ड्रोन से फसलों के डिजिटल सर्वे को किसानों के लिए किया गया भारी काम बताया जबकि असल में इसके द्वारा जुटाए गए कथित आंकड़ों में बीमा कम्पनियां अपने हिसाब से तोड़मरोड़ कर किसानो को दिए जाने वाले मुआवजे से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, किसान की भूमि का रिकॉर्ड तक गड़बड़ा रहा है। उन्होंने 1 करोड़ किसानों को उस तथाकथित नेचुरल फार्मिंग दृ बिना खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के किये जाने वाली खेती – से जोड़ने का दावा किया जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह वही खेती है जिसका खामियाजा अभी हाल ही में श्रीलंका के किसानों ने दिवालिया होकर और वहां की जनता ने भुखमरी का शिकार होकर चुकाया है।

इधर वे प्रधानमंत्री शब्द के पुन्छल्ले वाली किसान हितैषी योजनाओं के नाम दर नाम गिना रहे थे, 10 करोड़ किसानो को पी एम किसान योजना और न जाने कौन कौन सी योजनाओं का हितग्राही होने का दावा कर रहे थे उधर उनकी वित्त मंत्राणी इन सबके लिए बजट आवंटन को या तो स्थिर बनाये रखने या पहले से घटाने के प्रस्ताव रख रहीं थीं।

बहरहाल कुछ सच इतने विराट और चमकीले हरूफों में समय की दीवार पर दर्ज होते हैं कि उन्हें झूठ की सुनामी भी ओझल या धुंधला नहीं कर सकती। भले मोदी ने जिक्र नहीं किया मगर दुनिया भर से आये अर्थशास्त्रियों को पता था कि जहां खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री उन्हें भारत की कृषि और किसानों की चमचमाती छवि दिखा रहे हैं उससे आवाज भर की दूरी पर दिल्ली की छहों बॉर्डर्स पर अभी अभी देश के किसान कोई 13 महीनों तक डेरे डाले हुए थे। खेती किसानी पर कारपोरेट कंपनियों के कब्जे को रोकने और फसल के उचित दाम देने सहित अपनी मांगों को उठा रहे थे, अपने संघर्ष की धमक से देश दुनिया को हिला रहे थे। यही एतिहासिक संग्राम था जिसने मोदी की पार्टी को संसद में अल्पमत में ला दिया और सरकार बनाने का नैतिक अधिकार छीन लिया। किसान आन्दोलन के केंद्र की 38 सीटों पर ही नहीं देश की ग्रामीण आबादी के बहुमत वाली 159 लोकसभा सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के उलटे बांस बरेली को बाँध दिए – यहाँ तक कि उनके कृषि मंत्री तक को चुनाव हरा दिया।

इस सबके बाद भी यदि वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अडानी अम्बानी की बढ़ती तोंदों को अपनी कामयाबियों के रूप में गिनाते हुए आत्ममुग्ध होना चाहते हैं तो भले हो लें, उनका पालक पोषक कारपोरेट मीडिया उनके झूठों का गुणगान कर सकता है मगर ये पब्लिक है और वो सच जानती है। □

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की भविष्य की राह

– हन्नान मौल्ला

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) न केवल भारत में किसान संगठनों का सबसे बड़ा मंच है, बल्कि यह हमारे देश के जनतांत्रिक आंदोलन में भी अगवा है। 2020–21 में चले सबसे लंबे ऐतिहासिक किसान आंदोलन का नेतृत्व करने और मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को तीन काले–किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने की महान जीत हासिल करने के बाद, एसकेएम ने केंद्र सरकार के साथ लिखित समझौता पत्र के आधार पर अपना संघर्ष स्थगित किया था। जिसमें एसकेएम के साथ चर्चा करने और समय के साथ शेष मांगों को हल करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। 9 दिसंबर 2021 के पत्र में, सरकार ने आश्वासन दिया कि एमएसपी और इसकी कानूनी गारंटी, कर्जा माफी, बिजली विधयक वापसी, शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता, किसानों पर सभी झूठे मामलों की वापसी आदि मुद्दों पर एसकेएम के साथ चर्चा की जाएगी और इन्हें हल किया जाएगा।

लेकिन इसके बाद, सरकार ने चुप्पी साध ली। एसकेएम ने याद दिलाने के लिए पत्र लिखे, 23 राज्यों के राज्यपालों का घेराव किया, ग्रामीण भारत बंद का आयोजन किया और रामलीला मैदान में विशाल रैली की। लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि, एसकेएम को हानि पहुचने के लिए, सरकार ने तीन मंत्रियों को एसकेएम छोड़ने वाले कुछ किसान संगठनों के साथ चर्चा करने के लिए भेजा ताकि इस हिस्से को असली एसकेएम के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

इस बीच, 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसलिए आंदोलन की कोई संभव नहीं था। एसकेएम ने स्थिति पर चर्चा की और मोदी सरकार के विश्वासघात के खिलाफ लड़ाई का फैसला किया। एसकेएम ने देश के किसानों के साथ इस विश्वासघात के खिलाफ अपनी चुनावी शक्ति का उपयोग करने की अपील की और "भाजपा को बेनकाब करने, विरोध करों और दंडित करों" का आह्वान किया। मोदी ने किसानों और उनकी समस्याओं के बारे में बात नहीं की, बल्कि "राम मंदिर" और अन्य मुद्दों का उपयोग करके माहौल को व्यापक रूप से सांप्रदायिक बना दिया।

विपक्षी दल एक साथ आए और भाजपा और उसकी राष्ट्र–विरोधी, गरीब–विरोधी नीतियों से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया। उन्होंने किसानों की मांगें भी उठाईं और सत्ता में आने पर उन्हें पूरी करने का वादा भी किया। एसकेएम ने मोदी के विश्वासघात के खिलाफ अभियान चलाया और किसान सभा सहित कई किसान संगठनों ने भाजपा के खिलाफ अभियान चलाया। कड़े मुकाबले वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा। मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन भाजपा केवल 240 सीटें जीत पाई, जो आधे से भी कम थी। लेकिन मोदी ने अपने एनडीए सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई। विपक्ष ने काफ़ी सीटें

जीतीं, फिर भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं।

एसकेएम ने स्थिति का आकलन करने, चुनाव परिणाम की समीक्षा करने और भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय आम सभा (जनरल बॉडी) की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। आम सभा 10 जुलाई 2024 को हरकिशन सिंह सुरजीत भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमे 17 राज्यों से एसकेएम सदस्य संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 से अधिक सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। इसमें विभिन्न राज्यों से किसान सभा के 26 साथी शामिल हुए और चुनाव के अपने अनुभव साझा किए।

किसान आंदोलन ने लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर रहा। पिछले 10 सालों से लगातार चल रहे किसान आंदोलन, 380 दिनों तक एसकेएम के संघर्ष में तक पंहुचा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के नेतृत्व में मजदूरों के साथ इसके समन्वय ने इसे विजयी बनाया। उनके अभियान ने भाजपा के सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट एजंडे का मुकाबला करने के लिए लोगों की आजीविका के मुद्दों को उठाया । प्रभाशाली किसान आंदोलनों के केंद्र रहे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र की 38 ग्रामीण सीटों पर भाजपा की हार हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारे मंत्री अजय मिश्रा टेनी और झारखंड के खूंटी में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की हार किसान आंदोलन के प्रभाव को दर्शाती है। किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण गरीबों की आबादी वाले 159 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की हार हुई।

एसकेएम का मानना है कि जनता के मुद्दों पर आधारित सतत और एकजुट संघर्ष से लोगों के बड़े वर्ग में विश्वास पैदा हो सकता है। इसने भारत के संविधान में निहित जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय सिद्धांतों की रक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। जनरल बॉडी की बैठक ने भाजपा के नेतृत्व वाले अधिनायकवादी, कॉर्पोरेट, सांप्रदायिक गठबंधन को झटका देने के लिए पूरे भारत के किसानों को बधाई दी। बैठक में राजस्थान के सीकर से अमरा राम, बिहार के काराकाट से राजाराम सिंह, बिहार के आरा से सुदामा प्रसाद और तमिलनाडु के डिंडीगुल से आर सचिदानंदम के सांसद चुने जाने की भी सराहना की गई। एसकेएम को उम्मीद है कि वह संसद के अंदर कॉर्पोरेटपक्षीय नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने में सफल होंगे।

बैठक में कहा गया कि चुनाव के बाद के परिदृश्य में भाजपा–एनडीए सरकार की कॉर्पोरेटपक्षीय, किसान विरोधी नीतियों में किसी भी बदलाव का भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। मंदसौर के किसानों के हत्यारे शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया। हाल के बजट ने दिखा दिया है कि भाजपा–एनडीए सरकार की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए हमारे पास आने वाले दिनों में आंदोलन को फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए एसकेएम ने 9 दिसंबर 2021 के उस समझौते को लागू करने की मांग की है जो केंद्र सरकार ने एसकेएम के साथ बची हुई सभी समस्याओं पर चर्चा और समाधान के लिए किया था।

संघर्ष को फिर से शुरू करने के हिस्से के रूप में एसकेएम ने राज्यसभा और लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को मांग पत्र सौंपा। संबंधित राज्य एसकेएम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 16, 17, 18 जुलाई 2024 राज्य के सांसदों से मिला और उनसे संसद में किसानों के मुद्दों और मांगों को उठाने का अनुरोध किया। एसकेएम प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता को ज्ञापन भी सौंपा।

9 अगस्त 2024 को एसकेएम किसानों की मांगों के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन करके "भारत छोड़ो दिवस" को "कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस" के रूप में मनाएगा। यह भी मांग करे कि के भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए और यह चेतावनी दे कि कृषि उत्पादन और व्यापार में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं होनी चाहिए। एसकेएम की संबंधित राज्य समितियां जल्द ही बैठक करेंगी और कार्रवाई का स्वरूप तय करेंगी। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी होता है। इसलिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन और आदिवासी अधिकारों को बनाए रखने की विशिष्ट आदिवासी मांग उठाई जाएगी।

17 अगस्त 2024 को, पंजाब राज्य एसकेएम वह की गंभीर जल समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री के घर पर पूरे राज्य में 3 घंटे का धरना देगा। अन्य राज्य भी इस दिन अपने जल, सिंचाई और जलवायु मुद्दों को उठा सकते हैं।

निकट भविष्य में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू और कश्मीर राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। यह निर्णय लिया गया कि इन राज्य एसकेएम समितियों की बैठक हो और राज्य में अधिवेशन आयोजन कर किसान विरोधी, सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट ताकतों को हराने के लिए "भाजपा का पर्दाफाश करों, विरोध करों और दंड करों" की तर्ज पर अभियान की योजना बनाई जाए।

एसकेएम की सभी राज्य समन्वय समितियां ठोस स्थानीय मांगों और ज्वलंत मुद्दों की पहचान करें और उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों

से जोड़ते हुए राज्य के किसानों को संगठित करने के लिए स्वतंत्र अभियान की योजना बनाएं।

एसकेएम राष्ट्रीय स्तर पर सीटीयू से मुलाकात करेगा और उनसे राज्य स्तर पर संयुक्त किसान–मजदूर एकजुट संघर्ष बनाने का अनुरोध करेगा, साथ ही राज्य में महिलाओं, छात्रों, युवाओं, खेत मजदूर और जनता के अन्य वर्गों को भी साथ लाएगा।

एसकेएम ऐतिहासिक किसान संघर्ष में हमारे शहीदों की याद में सिंघू/टिकरी सीमा पर शहीद स्मारक बनाने के लिए अभियान चलाएगा।

एसकेएम ने लखीमपुर खीरी शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। यूपी में राज्य एसकेएम को लखीमपुर के मामलों का ध्यान रखना चाहिए।

एसकेएम राज्य स्तर पर यह मांग भी उठाएगा कि इंडिया गठबंधन के दल चुनावों के दौरान किए गए वादों को लागू करे , खासकर विपक्ष शासित राज्यों में।

एसकेएम ने भविष्य में क्षेत्रीय एसकेएम अधिवेशनों, क्षेत्रीय समितियों के गठन, जत्थों और महापंचायतों की योजना बनाने की योजनाओं पर चर्चा की।

एसकेएम ने नए अधिनायकवादी आपराधिक कानूनों की भी निंदा की, जिन्हें केंद्र सरकार ने लागू करना शुरू कर दिया है।

एसकेएम सचिवमंडल अपने सदस्य संगठनों की सूची, प्रतिनिधियों की सूची को अद्यतन करेगा तथा अपना मुख्यालय स्थापित करेगा। वेबसाइट तथा सोशल मीडिया को सक्रिय किया जाएगा।

एसकेएम की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) इसके वित्तीय प्रबंधन तथा खातों का रखरखाव कर रही है। यह निर्णय लिया गया कि मजबूत संगठन एसकेएम कोष में 1000 रुपये प्रतिमाह तथा क्षेत्रीय संगठन 500 रुपये प्रतिमाह का योगदान देगे।

कुछ नई मांगें भी सुझाई गईं। एसकेएम की पुरानी मांगों के साथ–साथ एक नया मांगपत्र तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है:

तात्कालिक मांगें

1. सभी फसलों के लिए, सी–2+50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की कानूनी गारंटी हो।

2. किसानों और खेत मजदूरों की ऋणग्रस्तता, किसान आत्महत्या और संकटपूर्ण पलायन से मुक्ति के लिए सर्वसमावेशी ऋण माफी योजना बने।

3. बिजली क्षेत्र का निजीकरण न हो, प्रीपेड स्मार्ट मीटर न लगाया जाएं।

4. उर्वरक, बीज, कीटनाशक, बिजली, सिंचाई, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और ट्रैक्टर जैसे कृषि इनपुट पर कोई जीएसटी न हो। कृषि इनपुट पर सब्सिडी फिर से शुरू करो। सरकारी योजनाओं का लाभ बटाईदारों और काश्तकारों को भी मिले।

5. सभी फसलों और पशुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तहत सर्वसमावेशी बीमा कवरेज योजना बनाओ। कॉर्पोरेट समर्थक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद करो।

6. खाद्य उत्पादक होने के नाते किसानों और खेत मजदूरों के पेंशन के अधिकार को मान्यता दी जाए तथा 60 वर्ष की

आयु से उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएं।

7. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम 2013 को लागू करो, जिसमें हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कम सर्किल रेट पर अधिग्रहित सभी भूमि के लिए मुआवजा दिया जाए। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बिना अधिग्रहण न किया जाए। बिना पुनर्वास के झुग्गी–झोपड़ियों और बस्तियों को न तोड़ा जाए। बुलडोजर राज को समाप्त किया जाए। बिना पूरा मुआवजा दिए कृषि भूमि पर ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का जबरन निर्माण न किया जाए।

8. वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए) और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा) को सख्ती से लागू किया जाए।

9. वन्य जीवों की समस्या का स्थायी समाधान हो; जान–माल के नुकसान पर 1 करोड़ रुपये और फसलों और मवेशियों के नुकसान पर उनकी कीमतों का दुगुना मुआवजा के रूप में दिया जाए।

10. भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की जगह, आम जनता पर पर थोपे जा रहे 3 आपराधिक कानूनों को निरस्त किया जाए, जो संसद में बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पारित किए गए हैं और असहमति और लोगों के विरोध को दबाने के लिए, भारत को पुलिस राज्य बनाने के लिए बनाए गए हैं।

11. 736 किसान शहीदों की याद में सिंघु/टिकरी बॉर्डर पर उपयुक्त शहीद स्मारक का निर्माण किया जाए। लखीमपुर खीरी के शहीदों सहित ऐतिहासिक किसान संघर्ष में शहीदों के सभी परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान संघर्ष से जुड़े सभी मामले वापस लिए जाएं।

12. अति–धनिकों पर टैक्स लगाया जाए; कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जाए; मजदूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों के बीच धन के तर्कसंगत और न्यायसंगत वितरण के लिए वित्तीय संसाधन हासिल करने के लिए संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर को फिर से लागू किया जाए।

नीतिगत मांगें

1. कृषि के लिए अलग केंद्रीय बजट हो।

2. कृषि का निगमीकरण न हो। कृषि उत्पादन, व्यापार और खाद्य प्रसंस्करण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश न हो। कोई मुक्त व्यापार समझौता (एफ.टी.ए) न हो। भारत को कृषि पर विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ) समझौते से बाहर आना चाहिए।

3. जीएसटी अधिनियम में संशोधन करें और भारत के संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारों के कराधान के अधिकार को बहाल करें, मजबूत राज्यः मजबूत भारत संघ के सिद्धांत को कायम रखा जाएं।

4. सहकारिता के संवैधानिक प्रावधान को राज्य विषय के रूप में बनाए रखा जाएं और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को समाप्त करो।

5. लोगों की आजीविका और प्रकृति की रक्षा के लिए भूमि, जल, वन और खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों को माल बनाना बंद करो और उस पर कॉर्पोरेट नियंत्रण को समाप्त करो। कृषि को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करो। वर्षा जल का वैज्ञानिक ढंग से संचयन करो, वाटरशेड योजना और जल निकायों की सुरक्षा करो, भूजल को रिचार्ज करने के लिए सिंचाई अधोसंरचना और वनीकरण को विकसित करो और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लचीलापन विकसित करो।

6. मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया जाए। कृषि विकास के लिए इस योजना को पूरे भारत में वाटरशेड योजना से जोड़ा जाए।

7. 4 श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। 26000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण न किया जाए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को खत्म किया जाए। श्रम का ठेकाकरण समाप्त किया जाए।

8. किसानों और खेत मजदूरों की भूमि और पशुधन संसाधनों की रक्षा की जाए, ताकि तीव्र कृषि संकट के कारण उनकी बढ़ती गरीबी को रोका जा सके। छोटे उत्पादकों और मजदूरों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोजगार और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए और उन्हें ऋणग्रस्तता, कृषि आत्महत्या और संकटपूर्ण प्रवास से मुक्ति दिलाई जाए। उत्पादक सहकारी समितियों और सामूहिक संघों को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ ऋण, कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचा नेटवर्क, विपणन और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा समर्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक नीतियां लागू की जाएं। □

केंद्रीय बजट 2024–25 मे कृषि के निगमीकरण को खुली छूट

– पी कृष्णप्रसाद

केंद्रीय बजट 2024–25 किसानों और मजदूरों की कीमत पर कृषि व उद्योग के निगमीकरण की अपनी हठधर्मिता जारी रखता है, साथ ही भारत के संविधान के संघीय चरित्र की मूल भावना का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। यह बजट किसानों व ग्रामीण मजदूरों की आजीविका और अधिक ख़त्म करने तथा बेरोजगारी एवं आय असमानताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक खुला युद्ध है।

यह बजट अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के दबाव में तैयार किया गया है। इसमे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 5 प्रतिशत कर कटौती की घोषणा की है और कॉर्पोरेट्स तथा अति धनियों पर कर लगाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के रूप में एकत्र किए गए जीएसटी का 67 प्रतिशत हिस्सा 50 प्रतिशत गरीब आबादी से ही आता है। कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही कोई संपत्ति कर या विरासत कर लगाया गया है। यह स्पष्ट रूप से इसके किसान विरोधी, मजदूर वर्ग विरोधी पूर्वाग्रह को उजागर करता है, जो देश के किसानों को कतई बर्दाश्त नहीं।

बजट में किसानों की लंबे समय से लंबित सी2+50 प्रतिशत के अनुरूप एमएसपी और गारंटीकृत खरीद की वास्तविक मांग की अनदेखी की गई है। वित्त मंत्री ने अन्नदाता के लिए बजट भाषण में कहा कि सरकार ने एक महीने पहले सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की थी, जो लागत के डेढ़ गुना होने के वादे को पूरा करती है, जो की यह स्पष्ट रूप से असत्य है। वादा सी2+50 प्रतिशत का था और वर्तमान एमएसपी ए2+ एफ़ एल+50 प्रतिशत है। वित्त मंत्री को एमएसपी पर श्वेत पत्र के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट करना चाहिए और शासन में पारदर्शिता व औचित्य को बनाए रखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकता।

खाद सब्सिडी में 2022–23 के वास्तविक आंकडे 2,51,340.5 करोड़ रुपये से कटौती कर 2024–25 के बजट अनुमान में 1,64,102.5 करोड़ रुपये (34.7 प्रतिशत की गिरावट) पर ला दी गई, जो के उत्पादन लागत को बढ़ाएगी और इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सब्सिडी में 2022–23 के वास्तविक 2,73,101.3 करोड़ रुपये से कटौती कर 2024–25 का बजट अनुमान 2,05,700.6 करोड़ रुपये (24.7 प्रतिशत की गिरावट) कर दिया गया, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा। जिससे भविष्य में भारी सामाजिक आपदाओं की लिए मार्ग खुल जाएगा, जैसा कि हाल ही में श्रीलंका जैसे देशों ने अनुभव किया है। भाजपा की किसान–विरोधी, मजदूर–विरोधी नीतियों के प्रतीक के रूप में इसे प्रत्येक गांव और शहरी इलाकों में प्रचारित किया जाना चाहिए।

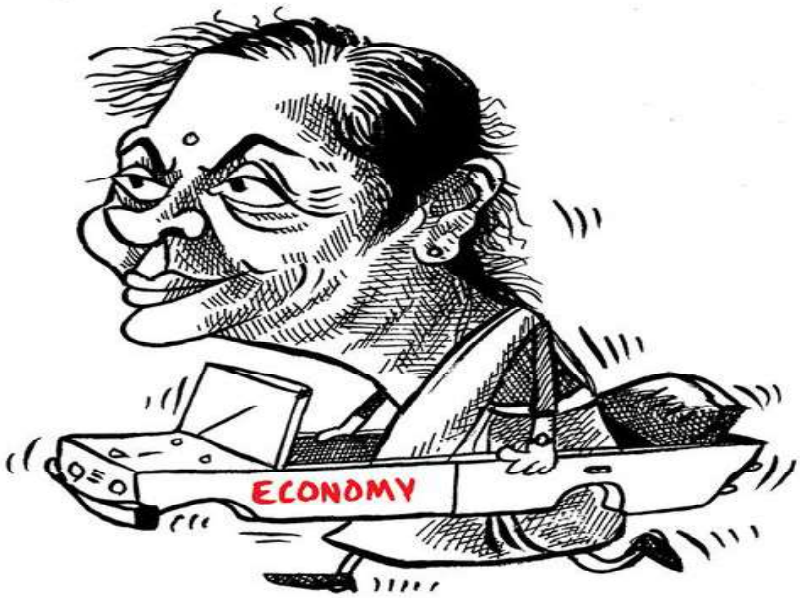

भले ही आरबीआई ने लेखा वर्ष 2023–24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हो, लेकिन बजट में किसानों और मजदूरों की लिए कर्जा माफी की लंबे समय से लंबित मांग को पूरी

तरह उपेक्षित किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भारत में प्रतिदिन 31 किसान और 86 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दस वर्षों के दौरान कॉरपोरेट घरानों का 14.46 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है और वर्तमान में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के माध्यम से 10.2 लाख करोड़ रुपये और माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस तरह मजदूरों और किसानों की प्रतिदिन हो रही मौत को केवल आत्महत्या नहीं माना जा सकता। इन्हें क्रूर कॉरपोरेट पक्षीय नीतियों के कारण राज्य द्वारा हत्या के रूप में देखा जाना चाहिए। बजट में मजदूरों के लिए 26,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन, जो असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत कामगारों का भरण–पोषण कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ सरकारी क्षेत्र में मौजूदा 30 लाख से अधिक खली पड़े पदों पर भर्ती तथा मजदूरी को बढ़ाकर 600 रुपये प्रति दिन करना व मनरेगा के तहत 200 दिन न्यूनतम काम जैसी उचित मांगें पर कुछ भी नहीं किया गया। मनरेगा के लिए आवंटन को दोगुना करने के बजाय, यदि खाद्य मुद्रास्फीति की 9.5 प्रतिशत की उच्च दर को भी शामिल कर लिया जाए तो, वास्तव में इसमें भारी कमी की गई है। मनरेगा को जलविभाजन (वाटरशेड) योजना और कृषि विकास से जोड़ने की मांग की उपेक्षा की गई है। एमएसपी व मनरेगा पर गलत नीति से पता चलता है कि मोदी सरकार किसानों की आत्महत्या, संकटपूर्ण पलायन और बेरोजगारी के गंभीर संकट को समाप्त करने के लिए कृषि एवं लघु उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए कतई ईमानदारी नहीं है।

केंद्रीय बजट 2024–25 के 48.25 लाख करोड़ रुपये के अनुमान में से केवल 1,51,851 करोड़ रुपये या महज 3.15 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र को दिया गया है। पिछले बजटों के दौरान इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2019–20 में यह 5.44 प्रतिशत थी, 2020–21 में 5.08 प्रतिशत, 2021–22 में 4.26 प्रतिशत और 2022–23 में यह और घटा कर 3.23 प्रतिशत कर दि गई। बजट में बीज, खाद, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और ट्रैक्टर सहित कृषि इनपुट पर जीएसटी को खत्म नहीं किया गया, जो मोदी सरकार के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो 45.76 प्रतिशत कार्यबल को कम और 58 प्रतिशत आबादी का भरण पोषण करता है के प्रति रवैये को दिखता है। इस संबंध में किसान आंदोलन "कृषि और ग्रामीण विकास" के लिए एक अलग बजट की मांग करता है, जिसमें केंद्रीय बजट का पर्याप्त हिस्सा हो। व्यापक फसल विफलताओं और ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की पृष्ठभूमि में, कॉरपोरेट क्षेत्र के तहत विफल प्रधानमंत्री फसल बम योजना और अप्रभावी एनडीआरएफ को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा योजना के तहत लेन और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की महत्वपूर्ण मांगों को भी बजट में नजरअंदाज कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जंगली जानवरों के कारण फसलों और जीवन के नुकसान के गंभीर मुद्दे पर चुप्पी सभी रही। यह चिंता का गंभीर विषय है और रिकॉर्ड के अनुसार केवल वर्ष 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण 782 मौतें हुईं। फसलवार मांगें जैसे कि गन्ना किसानों का बकाया चुकाना और 500 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी घोषित करना, मूल्य स्थिरीकरण कोष घोषित करना और रबर किसानों के लिए 250 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य देना, सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क, प्याज– आलू और सब्जी किसानों के लिए बाजार संरक्षण, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में मनरेगा का विस्तार, मवेशियों के लिए बाजार मूल्य और फसलों व मानव जीवन के लिए आवारा पशुओं के खतरे को समाप्त करना आदि पर भी बजट में ध्यान नहीं दिया गया है।

9.3 करोड़ में से 1 करोड़ भूमिधारी किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का निर्णय समग्र कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हानिकारक है और इससे खाद्य संकट पैदा होगा। ऐसी गलत धारणाओं के बजाय, केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से किसानों के बीच मिट्टी परीक्षण, बीजों पर वैज्ञानिक शोध, उत्पादकता, व्यापक बीमा कवरेज और लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए बाजार समर्थन के साथ तकनीकी बदलाव के आधार पर अच्छी कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना होगा।

बजट का दीर्घकालिक उद्देश्य कॉर्पोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संविदा खेती (कोंट्राक्ट फार्मिंग) को बढ़ावा देना है। आईसीएआर ने कृषि व्यवसाय एवं अनुसंधान और विकास क्षेत्रों में काम करने वाली बेयर व सिंजेंटा सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ ए) पर हस्ताक्षर किए है। वित्त मंत्री ने अनुसंधान एवं विकाश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को बजट फंडिंग की घोषणा की है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, व्यापार व विपणन में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में 5

प्रतिशत की कटौती की है। यह प्रयास काले कृषि कानूनों को पीछे के दरवाजे से आगे बढ़ाने की सुविधा का हिस्सा हैं, जिन्हें संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले ऐतिहासिक किसानों के आन्दोलन के कारण निरस्त करना पड़ा था।

केंद्र सरकार को जीएसटी अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकारों के कर लेने के अधिकार को फिर से लागु करना चाहिए, जिससे संविधान निहित संघीय सिद्धांत के तहत मजबूत भारत में सशक्त राज्यों के सिद्धांत को कायम रखा जा सके। राज्यों को कराधान के अधिकार से वंचित करना और फिर राज्यों को आवंटन का हिस्सा तय करने में भेदभाव करना राजनीतिक चिंता का गंभीर विषय बन गया है। भाजपा और एनडीए धन की कमी वाले राज्यों को एक–दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ राज्यों को तर्कहीन आवंटन के साथ खुश कर रहे हैं। यह खतरनाक है और लंबे समय में भारत का गठन करने वाली विभिन्न राष्ट्रीयताओं की विविधता का सम्मान करते हुए संघीय ढांचे में बने रहने की राष्ट्रीय एकता एवं सामंजस्य को नुकसान पहुंचाएगा।

भूमि और फसलों को पंजीकृत करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) की घोषणा और 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति' तैयार करने का उद्देश्य राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करना है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार कृषि, भूमि और सहकारिता राज्य के विषय हैं। आर्थिक विकास के लिए राज्य विशिष्ट चरित्र को देखते हुए सहकारिता के संवैधानिक प्रावधान को राज्य के विषय के तौर पर रखना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसलिए किसानों और आम लोगों को बड़े पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा के लिए केंद्र सरकार के तहत सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ जागरूक करने की जरूरत है। देश के संघीय ढांचे के सर्वोत्तम हित में 2019 में गठित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को समाप्त किया जाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से इसकी मांग करनी चाहिए। इसके बजाय, केंद्र सरकार को खेती, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए किसानों और मजदूरों की उत्पादक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने तथा सहकारी विपणन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। संघवाद का सिद्धांत के तहत केंद्र की भूमिका कृषि और सहकारिता के क्षेत्रों में मार्गदर्शक सिद्धांत की होना चाहिए।

सभी राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को उपरोक्त गंभीर मुद्दों पर दृढ़ एवं स्पष्ट रुख अपनाना होगा तथा मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठानी होगी। संबंधित राज्यों में एकजुट किसान आंदोलन को व्यापक स्तर पर किसान संघर्षों के माध्यम से राज्य सरकारों पर दबाव डालना होगा।

किसानों, शहरी व ग्रामीण मजदूरों, महिलाओं, युवाओं व छात्रों सहित सभी वर्गों की व्यापक एकता समय की मांग है तथा सभी लोगों को एकजुट होकर पूरे भारत में व्यापक स्तर पर संघर्ष खड़ा करना होगा ताकि एनडीए सरकार को अपनी कॉर्पोरेट पक्षीय नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सके और लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। पुरे भारत के गांवों में व्यापक अभियान और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किसानों व ग्रामीण मजदूरों को उनकी आजीविका पर मंडरा रहे खतरों के बारे में जागरूक करन होगा। तीव्र होते मौजूदा कृषि संकट और उसके परिणामस्वरूप बढती बेरोजगारी, कर्जे और संकटपूर्ण पलायन से पार पाने के लिए व्यापक स्तर पर संघर्षों की लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। □

नये फौजदारी कानूनों का थोपा जाना अफरातफरी और एजेंडा चालू रहे

– पुष्पेन्द्र त्यागी

अठ्ठारहवीं लोकसभा के चुनावों के बाद बनी भाजपानीत सरकार भले ही बैसाखियों पर टिकी हो, उसका निशाना बराबर सधा हुआ है। इसीलिए, अभूतपूर्व बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और भ्रष्टाचार को संबोधित करने की किसी कोशिश के बजाय उसने अपने पिछले कार्यकाल के अन्तिम दौर में मनमाने तरीके से पारित कराये गये नये फौज़दारी कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू कर दिया है। ये कानून जिस तरह बिना चर्चा कराये पारित किये गये थे उसी तरह लागू भी कर दिये गये हैं। जाहिर है कि यह सब अकारण नहीं

किया गया है। इसके पीछे एक तय एजेंडा है जिसे ढांपने के लिए कानूनों के 'भारतीयकरण', 'न्याय' आदि का मुलम्मा लगाया गया है। दरअसल, अकेले बहुमत वाली भाजपा सरकार ने अपने दस बरस के दो कार्यकालों में पाया कि उसका काम पुराने कानूनों से नहीं बन पा रहा था। उसे ज्यादा धारदार कानून चाहिये थे जो सीधे न्याय कर दें।

मोदी सरकार ने अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए, औपनिवेशक ज़माने के पुराने फौजदारी कानूनों के चलते रहते ही नये कानूनों का अभ्यास शुरू कर दिया था। सभी जानते हैं कि उसने कई कानूनों में बदलाव कर तो कईयों में बिना बदलाव किये ही उन्हें इस तरह काम में लिया कि यूएपीए, पीएमएलए, राजद्रोह, एनएसए, ईडी, सीबीआई, एनआइए, एनसीबी, बुलडोजर, एनकांउटर की संहिता से ट्रॉयल के बिना ही न्याय किया जाने लगा।

इसके बावजूद कुछ मौके ऐसे आये जब मोदी सरकार को लगा कि औपनिवेशिक पुराने कानून उसकी न्याय देने की मंशा और रफ्तार से कदम नहीं मिला पा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर हुआ ऐतिहासिक किसान आंदोलन ऐसा ही एक मौका था। मोदी सरकार तब किसानों के साथ न्याय करने, उनकी आय दोगुनी करने के लिए कारपोरेटों के पक्ष में तीन कृषि कानून ले कर आयी थी जो तीन काले कृषि कानूनों के नाम से कुख्यात हुए। उन काले कानूनों को लाने का तरीका भी यही था। किसानों ने उन काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और उसे चलाने का जो निडर, एकजुट और बलिदानी तरीका अपनाया था उसने मोदी और भाजपा सरकार को घुटनों पर ला दिया था। उन कानूनों को वापस लेते हुए मोदी ने 'तपस्या में कमी रह जाने' की जो बात कही थी उसका आशय वास्तव में यह था कि पुराने फौज़ीदारी कानूनों में कमी रह गई। वरना तो उन्होंने किसानों के साथ 'न्याय' करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था–सारे कानूनों, सभी एजेंसियों को उन्होंने, वामपंथी, बुद्धिजीवी, खालिस्तानी, अरबन नक्सल, देश विरोधी, चीनी, पाकिस्तानी एजेंट किसानों को सबक सिखाने के लिए खुला छोड़ दिया था। उनके लोग तो किसानों को गाड़ी से कुचल कर 'न्याय' देने तक आगे बढ़ गये थे। मगर किसानों की एकता, टिके रहने के संकल्प के

मज़बूत आधार पर खड़े उनके आंदोलन के इर्द–गिर्द जुट रही जनता के सामने यह सब नाक़ाफी साबित हुआ था। मोदी सरकार को हार स्वीकार कर, काले कानून वापस लेने पड़े थे। परन्तु आम चुनावों में बहुमत खो देने के बाद भी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से स्पष्ट है कि उसका एजेंडा कायम भी है और उसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है।

नये तीन कानूनों , भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आइईए) की जगह ली है। उपनिवेशवाद से आज़ादी की लड़ाई के समय उससे दूर रहे विचार के द्वारा आज उस विरासत से मुक्ति दिलाने के बड़े दावे के अतिरिक्त जोश और नामों को हिन्दी में लिखने के मकसद को समझा जा सकता है। कमाल यह है कि ऐसा करते हुए भी 'दंड' को 'न्याय' और 'फौज़दारी प्रक्रिया को' 'नागरिक सुरक्षा' से बस गड्डमड्ड ही किया गया है। साक्ष्य अधिनियम का तो नाम भी नहीं बदल पाये।

इन नये कानूनों के लागू होने के बाद, पुराने कानूनों के तहत पहले से दर्ज़ करोड़ों मामले साथ–साथ चलेंगे जिससे दो समांतर व्यवस्थायें स्थापित हो जायेंगी। समझना मुश्किल नहीं है कि आरोपितों, पुलिस व अदालतों के लिए कानून के लागू होने वाले प्रावधानों, प्रक्रिया व उनकी व्याख्या से जुड़ी कितनी ही समस्यायें खड़ी हो जायेगीं। मामला शुरू होने में और उसका निपटारा होने में लगने वाला समय कितना होगा इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि नये कानूनों से, अमल के मामले में अस्पष्टता और अनिश्चितता बढ़ गयी है।

किसी भी आपराधिक मामले में न्याय की ओर बढ़ने के लिए सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर का दर्ज होना जरूरी है। हमारे देश में अभी तक पीड़ितों के द्वारा एफआइआर दर्ज कराना ही किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। मोदीनीत भाजपा के पिछले 10 वर्ष भी इसका अपवाद नहीं रहे हैं। अब नये कानूनों के तहत ऐसे अपराधों के मामले में जिनमें 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान हो, एफआइआर दर्ज करने को 14 दिनों तक लटकाया जा सकता है। अपराध हो जाने के बाद एक पखवाड़े का यह समय पुलिस को विभिन्न पहलुओं से मामले का 'अध्ययन' करने के लिये दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि शुरूआत ही पुलिस के रहमों–करम पर रहेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के एफआइआर तुरन्त दर्ज किये जाने के आदेशों के हिसाब से एक पीछे जाने वाली और बदतर स्थिति होगी। जो पुलिस के द्वारा और अधिक भ्रष्टाचार और पुलिस राज की ओर ले जायेगी। नये कानूनों के लागू होने के बाद उत्तरप्रदेश के हाथरस में एक तथाकथित 'बाबा' के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई मगर 'बाबा' पर एफआइआर तक दर्ज़ नही हुई। नये 'भारतीय' फौजदारी कानूनों में अंध ाविश्वास फैलाने के खिलाफ सख्त कानून नहीं लाया गया है जिसकी वास्तव में जरूरत थी। नये कानूनों में प्रावधान है कि पुलिस अब आरोपी को 15 दिन से ज्यादा के रिमांड पर ले सकेगी। यह भी पुलिस को अधिक शक्ति प्रदान करने वाला है जो पारदर्शिता को कम कर प्रताड़ना को बढ़ाने वाला होगा।

नये कानूनों में एक अन्य प्रतिगामी और अत्यंत खतरनाक प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धाना 152 के तहत देश द्रोह और 'राष्ट–विरोधी' होने के अपराध के रूप में लाया गया है। पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह के जिस अपराध को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था उसे और ज्यादा विस्तृत और खतरनाक रूप में धारा 152 के रूप में लाया गया है जिसमें देश की संप्रभुता और अखंडता के आयामों को जोड़ दिया गया है। पिछले दस सालों में विरोध व असहमति की आवाजों के साथ इस सरकार ने जैसा सुलूक किया है उससे समझा जा सकता है कि हालात कितने बदतर हो सकते हैं।

यही नहीं नये कानूनों के कुछ प्रावधान साफ करते हैं कि सरकार ने फौज़दारी कानूनों को सरल, स्पष्ट, पारदर्शी व न्यायपूर्ण बनाने की बजाय उनके माध्यम से एक घेराबंदी करने का इंतजाम किया है। मिसाल के लिए यूएपीए के तहत शामिल कई आपराधो को, जैसे भारतीय न्याय संहिता की ध ाारा 113 के तहत आने वाले अपराधों को नये अपराधिक कानूनों में भी शामिल कर दिया गया है। इससे प्रक्रिया इतनी उलझा दी जायेगी की वह अपने आप में एक भारी सज़ा बन जायेगी।

नये फौजदारी कानून प्रतिगामी व दमनकारी हैं और भारत के लोगों के जीवन व उनकी स्वतंत्रता पर शिकंजा कसने वाले हैं। इन्हें, इनके खतरनाक प्रावधानों के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देश भर में वकीलों के संगठन इनका विरोध कर रहे हैं। किसानों, मज़दूरों, व छात्रों के साथ जनता के अन्य सभी तबकों को इन कानूनों के मौजूदा स्वरूप के विरोध में आगे आना होगा।

□

क्रांतिकारी संघर्षो की राहों पर : स्वामी सहजानन्द सरस्वती

– अवधेश कुमार

अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द सरस्वती एक ऐसे युग पुरूष थे जिनकी जिन्दगी का उद्देश्य दमन, शोषण एवं पराधीनता से मुक्त समाज का निर्माण करना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से देश को आजाद करना, सामंतों एवं देशी–विदेशी पूंजीपतियों के शोषण का अंत करना और मजदूर–किसान राज्य की स्थापना जैसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्होनें अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने मोक्ष के लिए उपासना और धार्मिक चिंतन में लगा हुआ था, लेकिन उसने अनुभव किया कि जनता की सेवा ही भगवान की असली पूजा है।

किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में स्वामी जी के योगदान की चर्चा करते हुए ख्याति प्राप्त इतिहासकार डॉ० रामशरण शर्मा ने लिखा है कि–

बिहार में किसान आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में चम्पारण में हुआ, पर यह आंदोलन, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज कोठी वालों के खिलाफ था, स्थानीय जमींदारों के खिलाफ नहीं। गांधी जी और कांग्रेस के उपर के नेतृत्व का यह मानना था कि यदि जमींदारों के खिलाफ किसान आंदोलन होगा तो इससे साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जायेगा।

इसके विपरीत स्वामी सहजानन्द सरस्वती सरीखे नेताओं का 1934 आते–आते ऐसा विचार बना कि जमींदार केवल किसानों के शोषक ही नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक है। इस समझदारी के कारण देश में और विशेषकर बिहार में किसान आंदोलन ने बड़ा जोर पकड़ा। बिहार में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय बिहार प्रान्तीय किसान सभा और उसके प्रमुख संस्थापक स्वामी सहजानन्द सरस्वती को है।

बहुमुखी प्रतिमा के धनी

स्वामी सहजानन्द सरस्वती बहुमुखी प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। उनकी स्पष्ट समझ थी कि देश में कृषि क्रांति साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का अभिन्न अंग है। संघर्षों में तपने से उनके अन्दर वर्गीय दृष्टिकोण विकसित होता गया, यही वजह है कि कृषि क्रांति तथा साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन को औपनिवेशिक शासन के जुए तले दबे दूसरे देशों के जनगणों की मुक्ति की आकांक्षाओं के साथ जोड़कर देखते थे। जब फासीवादी ताकतों ने सोवियत संघ पर हमला किया तो स्वामी जी को इस निष्कर्ष पर पहुँचने में देर नहीं लगी कि हमारी आजादी की लड़ाई अब फासीवाद के खिलाफ

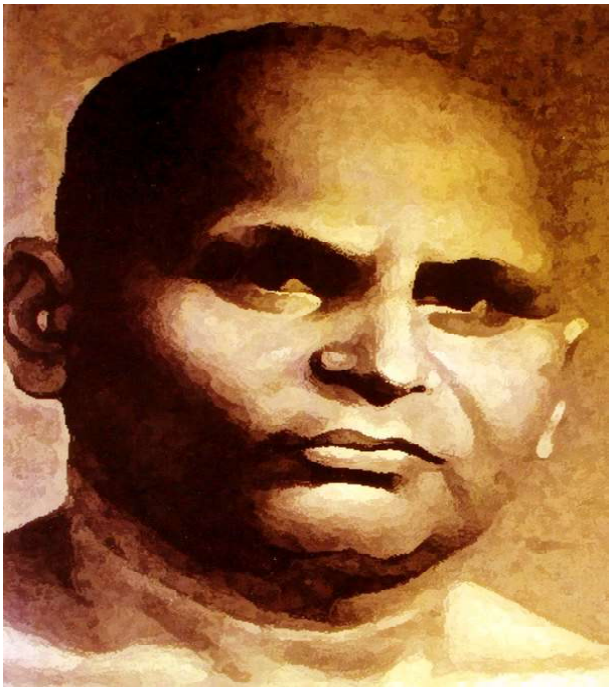

जंग से जुड़ गयी है। उस समय वे जेल में थे। जेल से ही भारत के लोगों को फासीवाद के खिलाफ गोलबंद होने का आह्वान किया।

स्वामी जी का, सबसे पीड़ित शोषित किसानों के साथ गहरा जुड़ाव था और जमींदारों तथा उनके राजनीतिक समर्थकों के साथ सीधे–सीधे टकराव था। संघर्षों से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि जबतक शोषित–उत्पीड़ित किसान जनता को एक वर्गीय संगठन के रूप में संगठित नहीं किया जायेगा, किसानों को सामंती उत्पीड़न की गुलामी से मुक्त करने, कृषि क्रांति के काम को पूरा करने और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेकने की बात, सोची भी नहीं जा सकती है।

स्वामी जी की विलक्षण प्रतिभा का इस बात से भी पता चलता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे उच्चकोटि के विद्वान, लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान सभा के संस्मरण, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, खेत मजदूर, अब क्या हो, मेरा जीवन संघर्ष, जैसे ग्रंथों की रचना की।

जेलों में या जेल से बाहर हर समय उनका दिल किसानों के साथ रहता था। सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि आजीवन लोगों के लिये एक उदाहरण बने रहे। उनके कथनी और करनी में

एकरूपता थी। इसलिये उनका नाम हमारे देश के किसान आंदोलन का एक प्रतीक बन गया है।

नौरंग राय बने स्वामी सहाजानन्द सरस्वती

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अर्न्तगत सेवा देवा गांव में एक किसान परिवार में फरवरी, 1989 को महाशिवरात्रि के दिन उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। वे जब तीन–चार वर्ष के थे उनकी माँ की मृत्यु हो गयी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा–दीक्षा पास के ही दूसरे गांव जलालाबाद के स्कूल में हुआ।

बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृति के थे और उनका ज्यादा मन पूजा–पाठ में ही लगता था। ज्यादा पूजा–पाठ में रूचि देखकर परिवार वालों ने 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी कर दी। परन्तु दुर्भागयवश दो वर्ष के अन्दर ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गयी। घर में दूसरी शादी की बात चल रही थी कि सन् 1907 में नौरंग राय बनारस पहुँच कर सन्यासी बन गये। सन्यासी के रूप में उन्होंने धार्मिक शास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनकी मुलाकात स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती से हुई और उनके शिष्य बन गये। इस तरह वे नवरंग राय से स्वामी सहजानन्द सरस्वती बन गये।

अगामी 8 वर्ष उन्होंने गंभीर धार्मिक अध्ययन, तीर्थ यात्राओं, भिक्षाटन, योग और तपस्या में बितायें। वे अपनी प्रतिभा के बल पर महान विद्वान तथा सर्वश्रेष्ठ दंडी स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गये। स्वामी जी को देशाटन एवं भिक्षाटन के दौरान बहुत ही नजदीक से कट्टर धार्मिकों और सन्यासियों का दो–मुहाँपन एवं पतन देखने को मिला। धर्म के नाम पर लूट और शोषण को देखकर वे दुःखी तथा विचलित हो गये।

स्वामी जी ने जाति और धर्म के नाम पर किये जा रहे पाखण्ड के विरूद्ध संघर्ष चलाया। वे धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानते थे। उन्हीं के शब्दों में 'धर्म तो मेरे विचार से सोलहो–आना व्यक्तिगत चीज है, जैसे अक्ल, दिल, आँख, नाक' आदि। दो आदमियों की एक ही बुद्धि या आंख नहीं हो सकते तो फिर धर्म कैसे दो आदमियों का एक होगा।

समाज सुधार की ओर

कुछेक सन्यासियों के आग्रह पर भूमिहार, ब्राह्मण सभा में भाग लेने के लिये वे बलिया चले गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि गरीब और बदहाल भूमिहार परिवार अपने धार्मिक सामाजिक क्रियाक्रम में ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाते हैं और दान–दक्षिणा देने में लुट जाते हैं। इससे पहले सन्यासी बनकर घूमते हुए उन्होंने गुरूवाद का ढकोसला, शास्त्रार्थ के नाम पर फरेब, योगियों का ढोंग देखा था।

उन्होंने 2015 से भूमिहार ब्राह्मणों के बीच समाज–सुधार अभियान की शुरूआत कर दी। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि भूमिहार भी धार्मिक भावनाओं का इश्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वे आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष करने वालों के खिलाफ है। स्वामी सहजानन्द सरस्वती का अपने समाज सुधार आंदोलन से भी जल्द ही मोह भंग हो गया। उन्होंने स्वयं भूमिहार–ब्राह्मण सभा भंग कर दी। उन्होंने अपने अनुभव से जातीय सीमा को समझा, किसानों के दुःख–दर्द को पहचाना। स्वामी सहजानन्द सरस्वती मेरा जीवन संघर्ष में लिखते है 'मुनि लोग तो स्वामी बनके अपनी ही मुक्ति के लिए एकांतवास करते हैं, लेकिन मैं एसा हरगिज नहीं कर सकता। सभी दुखियों को छोड़कर मुझे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं चाहिये'। मैं उन्ही के साथ रहूँगा और मरूँगा, जीवित रहूँगा।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह अपना जीवन किसानों के हितों के लिए लगा देंगे। 1918 में स्वामी जी बिहार के बक्सर जिले के कोटवा नारायणपुर गांव चले गये। वहां रहते हुए उनेंने किसानों की समस्या पर गौर करना शुरू कर दिया और नियमित अखबार पढ़ना शुरू किया। सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों में उनकी रूचि बढ़ने लगी। 1920 की जुलाई में बाल गंगाधर तिलक के निधन से उन्हें गहरा धक्का लगा। वे पटना आकर 5 दिसम्बर 1920 को गांधी जी से मिले और उनसे प्रभावित होकर, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने का फैसला लिया। स्वामी जी ने अपनी जीवनी में लिखा है, गांधी जी से बातचीत के बाद मेरे दिल पर यही प्रभाव पडा कि मुझे राजनीति में फौरन कूद पड़ना चाहिये इसलिये नहीं कि देश का उपकार होगा, बल्कि इसलिये कि तभी मैं सच्चा सन्यासी बन सकूँगा। अभी तो कच्चा हूँ।

स्वामी जी अपनी पूरी क्षमता और उर्जा के साथ कांग्रेस में शामिल होकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर स्वामी जी 1921 में गिरफ्तार कर लिये गये। करीब दो वर्षों के बाद 1923 की जनवरी में जेल से रिहा हुए। कांग्रेस के आह्वान पर 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए तथा गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। उन्होंने पहली और दूसरी बार जेल में गांधी भक्त कांग्रेसी नेताओं की व्यक्तिगत कमजोरी को नजदीक से परखा। उन्हें घोर निराशा हुई। वे समझने लगे कि चरित्रहीन एवं पतित लोग कैसे स्वराज लेंगे?

गांधी और कांग्रेस से मतभेद

सन् 1927 के बाद किसान आंदोलन में कार्य करते हुए स्वामी जी ने पाया कि न सिर्फ कांग्रेसी नेताओं का जमींदारों के प्रति गहरा लगाव है बल्कि वे जमींदारों के पक्के समर्थक है। किसानों के हितों के प्रति स्वामी जी का पूर्ण समर्थन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ अपनी जर्बदस्त घृणा के चलते उनका गांधी जी और कांग्रेस से टकराव बढ़ता चला गया। अन्तोगत्वा उन्होंने गांधी और कांग्रेस से अपने को

अलग कर लिया। 1934 में बिहार में भुकम्प से तबाह किसानों से दरभंगा महाराज द्वारा लगान वसूलने एवं अन्य कई शिकायतों को लेकर स्वामी जी ने गांधी जी से चर्चा की। गांधी जी का सुझाव था कि तमाम शिकायतें शिकायतकर्ता किसानों के नाम सहित दरभंगा महराज को भेज दी जाय, किसानों की शिकायतें दूर हो जायेगी। क्योंकि महराजा के मैनेजर मिश्र जी कांग्रेसी थे। स्वामी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि किसानों का नाम भेजने का नतीजा यह होगा कि वह उन किसानों को इतनी निर्ममता से कुचल डालेंगे कि भविष्य में किसी भी किसान को शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं होगी। मेरा जीवन संघर्ष में स्वामी जी इस घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस दिन की बात के बाद उन पर मेरी अनास्था हो गयी और उसी दिन में सदा के लिये उनसे अलग हो गया। खैर अच्छा ही हुआ प्रायः चौदह वर्षों की बनी–बनायी गांधी व्यक्तित्व आज खत्म हुई।

किसान सभा की स्थापना

स्वामी जी 1926–27 से बिहटा के सीताराम आश्रम में रहने लगे और बाद के दिनों में वहीं किसान सभा और किसान आंदोलन का केन्द्र बन गया।

सर्व प्रथम उन्होंने 1927 के अंत में पश्चिम पटना किसान सभा का गठन किया। जमींदारों के षड्यंत्र से बिहार व्यवस्थापिका सभा में किसान विरोधी काश्तकारी बिल पारित करने का प्रयास का स्वामी जी ने जर्बदस्त विरोध किया। इसी पृष्ठभूमि में 17 नवम्बर 1929 को सोनपुर मेले में बिहार प्रान्तीय किसान सभा गठित हुई। स्वामी सहजानन्द सरस्वती अध्यक्ष चुने गये। किसान सभा के जर्बदस्त विरोध के चलते तथाकथित काशकारी बिल वापस ले लिया गया। यह बिहार प्रान्तीय किसान सभा की एक बड़ी जीत थी। 1935 में स्वामी जी के नेतृत्व में बिहार प्रान्तीय किसान सभा सम्मेलन में जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इससे जमींदारो के विरूद्ध किसान आंदोलन में काफी तेजी आयी।

देश के अलग–अलग राज्यों में भी किसानों के शोषण और ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध किसान आंदोलन में उभार होने लगा और प्रान्तों के स्तर पर किसान सभा की इकाईयाँ गठित होने लगी। उसी पृष्ठभूमि में 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानन्द सरस्वती संगठन के अध्यक्ष चुने गये। वहीं अपनी अध्यक्षीय भाषण में ही स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि किसानों और जमींदारों में कोई समझौता संभव नहीं है। जमींदारी प्रथा ही तमाम मुसीबतों की जड़ है। स्थापना सम्मेलन में–किसानों को शोषण से पूर्ण मुक्ति एवं पूर्ण आर्थिक–राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति और पूर्ण स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य तय किया।

अखिल भारतीय किसान सभा के गठित होते ही देश भर में संगठित किसान आंदोलन का उभार देखने को मिलता है। 1945–46 आते–आते कई राज्यों में जर्बदस्त आंदोलन उठ खड़े हो गये। आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन, बंगाल का तेभागा, केरल का पुनप्रा वायलार, बिहार का वकास्त संघर्ष, महाराष्ट्र का वर्ली आंदोलन, आसाम का सुरमा घाटी का आंदोलन काफी प्रभावशाली रहा।

अखिल भारतीय किसान सभा के करनूल अधिवेशन में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने लाल झण्डे को लेकर आपत्ति की। उन्हें जबाव देते हुए अध्यक्षीय भाषण में स्वामी जी ने कहा ''तिरंगा जहां राष्ट्रीयता का प्रतीक है, लाल झंडा वहीं अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के इस युग मे किसानों और तमाम गरीबों के संघर्ष का आज अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। वे अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के बिना अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीयता का यह प्रतीक अपरिहार्य है। किसान सभा के लक्ष्यों के बारे में उन्होंने स्पष्टता के साथ जोर–देकर कहा कि किसान आंदोलन का आधार वर्ग संघर्ष है और किसान आंदोलन का लक्ष्य कृषि क्रांति से कम कुछ नहीं है।

स्वामी जी वामपंथियों के साथ काम करने में ज्यादा सहज महसूस करते थे। वे साम्यवाद के पक्के समर्थक थे। अपने लिखित भाषण में कहा कि साम्यवाद कोई दूसरी चीज नहीं है सिवाय विशुद्ध किसान मजदूर राज्य के। किसान मजदूर एकता के प्रबल समर्थक के रूप में संघर्ष के दौरान वे इस नतीजों पर पहुँचे थे कि किसान–मजदूर एकता के बल पर ही पूंजीपतियों–जमींदारों को पराजित किया जा सकता है।

जय किसान–जय मजदूर

स्वामी सहजानन्द सरस्वती का असामयिक निधन मात्र 61 वर्ष की उम्र में 26 जून 1950 को हो गयी। उनका वेमिशाल व्यक्तित्व ओर कृतित्व किसानों को शोषण से पूर्ण मुक्ति के लिये संघर्ष करने के लिये हमें आज भी प्रेरित कर रहा है।

अंतिम समय में उन्होंने आगे के लिये पथ–प्रदर्शित करते हुए कहा– अब समय है ''जय किसान, 'जय मजूर' के नारे लगाये जाँय। ''जो अन्न–वस्त्र उपजायेगा, अब वही कानून बनायेगा'' ''भारत वर्ष उसी का है, अब शासन वहीं चलायेगा।'' कितना मौजू है स्वामी जी का आह्वान पिछले किसान आंदोलन के दौरान किसानों, मजदूरों की जो एकता निर्मित हुई है उसे मजबूती प्रदान करके ही स्वामी जी के सपनों को साकार किया जा सकता है।

□

केंद्र सरकार की नैनो यूरिया योजना कितनी वैज्ञानिक है?

– निशीथ चौधरी

आजकल 'नैनो यूरिया' नामक नई–खोजी गई रासायनिक खाद चर्चा में है। हालांकि यह कोई नई खोज नहीं है, लेकिन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने इस कंपनी के सलाहकार रमेश रलिया को इसके आविष्कारक के रूप में मान्यता देते हुए इस नैनो यूरिया का पेटेंट पहले ही करा लिया है। इस खाद के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी देते हुए सरकार ने कहा है कि इससे दानेदार यूरिया का उपयोग कम होगा और देश की आयात लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। गुजरात में इफको के कोलोल संयंत्र में इस खाद के उत्पादन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2022 को कहा, "... नैनो यूरिया की एक छोटी बोतल (500 मिली) दानेदार यूरिया के एक 50 किलोग्राम बैग के बराबर है जिसका उपयोग वर्तमान में किसान करते हैं।" इस नैनो यूरिया के आविष्कारक इफको या रमेश रलिया का दावा है कि इस नैनो यूरिया में नाइट्रोजन है, जो पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, "वो भी इतने महीन दानों रूप में की कागज़ के टुकडें से भी हज़ार गुना महीन"। इस कारण यह दावा किया जाता है कि, नैनो–यूरिया पदार्थ सूक्ष्म स्तर पर बहुत अधिक प्रभावी होंगे।

बेशक, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस दावे के पक्ष खड़ीं है, लेकिन इस दावे की प्रामाणिकता पर संदेह करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहले से ही कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। नैनो लिक्विड यूरिया को सरकार द्वारा निश्चित रूप से उर्वरक के रूप में मान्यता दीजा सकती है, लेकिन आश्चर्य होता है कि यह केवल 4 प्रतिशत नाइट्रोजन सामग्री वाले उर्वरक की प्रभावकारिता का प्रचारती करने और 46 प्रतिशत नाइट्रोजन सामग्री वाले यूरिया के साथ इसकी प्रभावशीलता की तुलना करने में इतनी जल्दबाजी और इतनी दिलचस्पी क्यों रखीं जा रही है। यह निबंध इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है।

यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित है कि खाद्य फसलों के विकास के लिए नाइट्रोजन मुख्य तत्व है और यूरिया सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक रूप से पारंपरिक अनाज यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। यानी 45 किलोग्राम यूरिया के एक बोर में 20.7 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर या आधा लीटर की बोतलों में बेचा जाता है, जिसमें 4 प्रतिशत नाइट्रोजन यानी 43 ग्राम यूरिया या सिर्फ 20 ग्राम नाइट्रोजन होता है। प्रधानमंत्री और इफको का दावा है कि नैनो यूरिया की आधा लीटर की बोतल 50 किलोग्राम यूरिया की बोरी के बराबर है। कुल मिलाकर यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के पादप एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के शोधकर्ता मैक्स फ्रैंक और उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सोरेन हस्टेड ने हाल ही में 25 जुलाई, 2023 को प्रकाशित एक राय पत्र में नैनो–तरल यूरिया की वैज्ञानिक वैधता पर सवाल उठाया। शोधकर्ताओं ने अपने राय पत्र में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर नैनो यूरिया की गुणवत्ता और गुणों पर भी संदेह जताया और इफको या भारत सरकार द्वारा किए गए दावों की तुलना अच्छी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के मौजूदा वैज्ञानिक साहित्य से की।

बहुत पहले, हमारे देश के कृषि समुदाय ने नैनो यूरिया के बारे में इस दावे पर संदेह व्यक्त किया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक टन गेहूं के उत्पादन के लिए 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और चावल व मक्का की समान मात्रा के उत्पादन के लिए क्रमशः 20 किलोग्राम एवं 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन नैनो यूरिया के मामले में एक पौधा मिट्टी में डाले गए या पत्तियों पर छिड़के गए पूरे यूरिया का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। 2022 में, चौधरी चरण सिंह

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एन के तोमर ने कहा कि "यदि उपलब्ध नाइट्रोजन का अधिकतम 60 प्रतिशत उपयोग किया जाता है, तो यह 496 किलोग्राम गेहूं का दाना पैदा करेगा," और आगे कहा, "यहां तक कि अगर नैनो यूरिया में 20 ग्राम नाइट्रोजन का 100 प्रतिशत, जो प्रभावी रूप से उपलब्ध है, पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है, तो यह केवल 368 ग्राम अनाज पैदा करेगा"। नीति आयोग और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी को लिखे अपने पत्र में प्रोफेसर तोमर ने साफ कहा है कि नैनो यूरिया की अवधारणा 'निरर्थक' है और यह किसानों के पैसे की सरासर बर्बादी है। इफको का यह दावा निराधार है और भविष्य में किसानों के लिए विनाशकारी होगा।

डॉ. तोमर की भावनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्व उप महानिदेशक आई पी अबरोल के भाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने कहा, 'यूरिया पानी में अत्यधिक घुलनशील है और अवशोषित होने पर पहले ही सबसे कम सांद्रता में पहुंच जाता है। नैनो कण और भी छोटे होने से नाइट्रोजन अवशोषण की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं, यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। यह बात कि पत्तियों पर छिड़काव (स्प्रे) से उर्वरक अवशोषण में सुधार होता है, आधी सदी से भी ज्यादा समय से हम जानते है। तो, इसमें नया क्या है?'

किसानों का अनुभव

इस साल मई में 'डाउन टू अर्थ' नामक एक प्रसिद्ध पर्यावरण और विज्ञान पत्रिका ने इस मुद्दे पर कई लेख प्रकाशित किए हैं। लेखक विवेक मिश्रा ने कई किसानों से बात की। विवेक मिश्रा आमतौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नदी, वायु और जल प्रदूषण पर खबरें लिखते हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में कई किसानों से बात की और डी. टी.ई. की ओर से उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किसान प्रवीण परमार, हरियाणा के सोनीपत जिले के कुराड़ गाँव के किसान सतपाल, सोनीपत के भटगांव गाँव के किसान पवन और आज़ाद फौजी, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बली गाँव के किसान सत्यवीर आदि का साक्षात्कार किया। सभी के अनुभव बहुत बुरे रहे। प्रवीण कुमार ने बताया कि नवंबर 2022 में उन्होंने अपनी 8 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की खेती करते समय नैनो यूरिया का प्रयोग किया और आधी जमीन पर बीज बोने के 20 दिन बाद 5 लीटर नैनो यूरिया का छिड़काव किया तथा बाकी जमीन पर पुरानी विधि से अनाज यूरिया का इस्तेमाल कर खेती की। उन्हें नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े। पारंपरिक यूरिया उपचारित जमीन में फसल का रंग और पत्तिया बढाती देखी, लेकिन नैनो यूरिया उपचारित जमीन में कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरह, सतपाल का कहना है कि नवंबर 2022 में उन्होंने अपनी जमीन पर गेहूं लगाया, जो अप्रैल 2023 में कटाई के लिए तैयार होना था। गेहूं लगाने के 20–25 दिन बाद जमीन पर नैनो यूरिया का छिड़काव किया, लेकिन फसल पर कोई असर नहीं होने पर उन्हें पारंपरिक यूरिया भी डालना पड़ा। भटगांव के पवन ने कहा कि उन्होंने 4 नवंबर 2022 को अपनी 25 बीघा जमीन पर गेहूं लगाया था। उस दौरान यूरिया का संकट था और उन्हें 500 मिलीलीटर की 5 बोतल नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंपरागत यूरिया का उपयोग करने पर 125 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता, लेकिन नैनो यूरिया के उपयोग से 5 क्विंटल प्रति बीघा की जगह केवल 3.5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, कुल मिलकर सिर्फ 87.5 क्विंटल हुआ। उनके अनुसार 5 बीघा जमीन पर नैनो यूरिया से गेहूं उगाने में उन्हें 11,925 रुपये खर्च करने पड़े। उन्हें 25 क्विंटल की अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन प्रति बीघा .5 क्विंटल का नुकसान उठाते हुए सिर्फ 17.5 क्विंटल ही पैदा कर सके। 2100 रुपये प्रति कुंतल की दर से उन्हें सिर्फ 36,750 रुपये की कमाई हुई, लेकिन अगर उचित उत्पादन होता तो उनकी आय 52,500 रुपये हो सकती थी। इस प्रकार एक फसल सत्र या 6 महीने में उनका नुकसान 25,000 रुपये हुआ यानी सालाना 50,000 रुपये का नुकसान। किसान परंपरागत दानेदार यूरिया को कुछ ही घंटों में जमीन पर खुद ही फैला सकता है। लेकिन नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए उसे स्प्रे टैंक किराये पर लेना पड़ता है। पानी में नैनो यूरिया मिलाकर छिड़काव करने के लिए उसे 25 लीटर के टैंक के लिए कम से कम 40 रुपए प्रति बीघा खर्च करना पड़ता है। निर्माता कंपनी द्वारा बताई गई नैनो यूरिया के इस्तेमाल की विधि इस प्रकार है– कम से कम 4 मिली नैनो यूरिया को 1 लीटर पानी में मिलाना होता है। 500 मिली की बोतल से अधिकतम 5 बीघा या 1 एकड़ कृषि भूमि पर खेती की जा सकती है। प्रति बीघा छिड़काव की अतिरिक्त लागत 40 रुपए होने से 5 बीघा में छिड़काव की कुल लागत 200 रुपए हो जाती है। 500 मिली की नैनो यूरिया की बोतल की कीमत 15 रुपए है। 240 और इस तरह नैनो यूरिया का उपयोग करने के लिए 440 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 45 किलोग्राम के पारंपरिक दानेदार यूरिया बैग की कीमत 250 रुपये है।

बागपत के एक अन्य किसान सत्यवीर का कहना है कि उन्हें और अन्य किसानों को नैनो यूरिया की बोतलें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों का भी यही अनुभव है। रसायन और

उर्वरक मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की मार्च 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से यूरिया की बिक्री लगभग आधी हो गई है। किसानों के अनुभव नकारात्मक होने से आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नैनो यूरिया की बिक्री जबरन की गई होगी।

नैनो यूरिया का फील्ड ट्रायल

हैरानी की बात है कि नैनो यूरिया के फील्ड ट्रायल के बारे में बहुत कम जानकारी है, फिर भी वैज्ञानिक समुदाय के विरोध के बावजूद इसके व्यावसायिक उत्पादन और विपणन के लिए सरकारी मंजूरी जल्दी ही दे दी गई। रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद यूरिया उर्वरक के घरेलू उत्पादन या आयात पर सब्सिडी की राशि 80 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो गई। तो क्या यह सफल फील्ड ट्रायल के बिना ही नैनो यूरिया को जबरन थोपने की चाल है?

नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए कच्चा माल क्या है, इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, अनाज यूरिया के उत्पादन के लिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्माता कंपनी इफको ने पेटेंट लेने के बहाने नैनो यूरिया बनाने के लिए कच्चे माल को गुप्त रखा है। जैसा कि किसान कहते हैं, नैनो यूरिया का उपयोग फायदेमंद नहीं है, उत्पादन में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं ही रही है, बल्कि यह घट रहा है। और दूसरी ओर, वैज्ञानिक रूप से यह एक मानक प्रथा है कि किसी नए उत्पाद को सरकारी मंजूरी तभी दी जाती है जब व्यावसायीकरण से पहले कम से कम तीन साल यानी 6 फसल चक्रों के शोध परिणामों में इसकी उपयोगिता साबित हो सके। नैनो यूरिया के विषय में यह सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नैनो यूरिया के फील्ड ट्रायल में शामिल कृषि विज्ञान केंद्र के एक अनाम वैज्ञानिक ने 'डाउन टू अर्थ' को बताया कि उन्हें अपनी जमीन पर नैनो यूरिया के इस्तेमाल से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले।

नैनो यूरिया के फील्ड ट्रायल में शामिल रहे कृषि विज्ञान केंद्र के एक अनाम वैज्ञानिक ने 'डाउन टू अर्थ' को बताया कि उन्हें अपनी जमीन पर नैनो यूरिया के इस्तेमाल से कोई सकारात्मक नतीजे नहीं मिले। इस के बाद, आईसीएआर के वैज्ञानिक कहते हैं, किसानों को आभारी होना चाहिए कि नैनो यूरिया का फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है! केवीके, सोनीपत के सेवानिवृत्त मुख्य वैज्ञानिक जे के नांदल के अनुसार, "नैनो यूरिया कभी भी दानेदार यूरिया का विकल्प नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा यह उर्वरक दानेदार यूरिया के इस्तेमाल को बमुश्किल 15 से 20 फीसदी तक कम कर सकता है।"

नियमों के मुताबिक, किसी भी नए रासायनिक उर्वरक की मंजूरी के लिए कम से कम तीन सीजन का डेटा आईसीएआर को सौंपना होता है। नैनो यूरिया के ट्रायल के बारे में जारी जानकारी से पता चलता है कि देश में 43 स्थानों पर 13 फसलों का और कुल 21 राज्यों में 9 फसलों का चार सीजन में परीक्षण किया गया। पता चला है कि इफको के पास एक फसल के सिर्फ़ दो मौसमों के नतीजे हैं और उसमे भी काफी गडबडी नज़र आती है। व्यावहारिक रूप से पिछले वर्ष में डाला गया यूरिया या अन्य उर्वरकों के लिए मिट्टी में बची नाइट्रोजन की मात्रा व्यावहारिक रूप से अगले वर्ष के लिए पर्याप्त है और एक वर्ष का मतलब है दो फसल सत्र। लगातार तीन वर्षों तक खेत परीक्षण की शर्त इस कारण से एक वैज्ञानिक आवश्यकता है और साथ ही अलग–अलग वर्षों में अलग–अलग जलवायु परिस्थितियों में प्रयोग के नतीजे प्राप्त करने के लिए भी यह अवशक है।

इफको ने नैनो यूरिया से संबंधित अनुसंधान 2017 में शुरू किया, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग 2018 में शुरू हुआ और रबी सत्र 2019 में फील्ड ट्रायल शुरू हुआ। 24 फरवरी 2021 को नैनो यूरिया को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिली, जून 2021 में इफको ने गुजरात में गांधीनगर के कलोल प्लांट में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जुलाई 2021 में ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई और 1 अगस्त 2021 को वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की गई। दूसरे शब्दों में, 2019 की रबी फसल से लेकर 1 जुलाई 2021 तक, नैनो यूरिया के वाणिज्यिक उत्पादन और विपणन की तिथि तक कुल मिलाकर सिर्फ 4 फसल सीजन ट्रायल के लिए उपलब्ध थे। तो फिर सवाल यह है कि, नरेंद्र मोदी की सरकार ने फील्ड ट्रायल पूरा किए बिना ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या यह सब अनुचित तरीके से यूरिया सब्सिडी में कटौती करने और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने के उद्देश्य से किया गया?

नैनो डीएपी के फील्ड ट्रायल चल रहे हैं और भविष्य में भी उसे इसी तरह किसानों पर थोपा जाएगा। देश के अलग–अलग हिस्सों के किसान नैनो खाद के इस्तेमाल में अनिच्छा दिखा रहे हैं और देशी–विदेशी कृषि वैज्ञानिक संदेह जता रहे हैं। फिर यह मजबूरी क्यों है? ऐसे में किसानों के सामने यह ज्वलंत सवाल है कि सरकार की इस कोशिश का विरोध कैसे किया जाए। आखिर सरकार को किसानों की जिंदगी और देश की खाद्य सुरक्षा से यूं ही खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में पूरी कवायद की गहन समीक्षा अत्यंत जरूरी है। □

एमएसपी की लड़ाई क्यों ज़रूरी?

– मनोज कुमार

पिछले कुछ सालों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहा है। एक तरफ किसान संगठन एमएसपी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार यह दावा करती रही है कि, हम एमएसपी दे रहे हैं और हर वर्ष 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जा रही है। सवाल यह है की अगर किसानो को एमएसपी मिल रहा है तो किसान और खेती इतनी बदहाल क्यों है?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ो के अनुसार 2014 से 2022 के बीच कुल 100474 किसान व खेतमजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं यानि हर रोज़ 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहने को ये सिर्फ एक आंकड़ा भर है पर इस के पीछे लाचारी और मजबूरी की 1,00,474 कहानियाँ छिपी हैं। पर इन कहानियों के दुखांत के लिए कृषि संकट से जन्मी ऋणग्रस्तता ज़िम्मेदार है। पर इस को पैदा करने वाली नवउदारवादी नीतियों को बदलने कि जरुरत सत्ता मे बैठे लोगो के विमर्श का हिस्सा नहीं बन पा रही है।

नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के एक दशक से ज्यादा समय के बाद लगातार बढती किसान आत्महत्याओं पर जब तत्कालीन सरकार घिरने लगी तो 2004 में आयी यूपीए–1 सरकार ने जिसे वामपंथी दल बहार से समर्थन दे रहे थे, डॉ एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया, जिसकी पांच रिपोर्टे 2004 से 2006 के बीच आई। इनमें में कहा गया कि किसानो पर बढ़ते कर्ज़ का मुख्य कारण लगातार बढती कृषि लागत के अनुरूप फसलों के दाम न मिलना है और लाभकारी कीमतों के बिना किसानों को कर्ज़ के दलदल से नहीं निकला जा सकता। सिफारिश की गई कि अगर किसान की स्थिति को सुधारना है तो किसान को सभी फसलों पर उस की लागत का डेढ़ गुना दाम (सी2+50 प्रतिशत) दिया जाए। जिस लागत की गणना में किसान के खाद, बीज, बिजली, डीजल सहित किसान परिवार द्वारा किये गए श्रम की कीमत, कृषि उपकरणों पर हश्र और ज़मीन का किराया शामिल हो। पर अब तक की सरकारों द्वारा घोषित किया जाता रहा एमएसपी, इस फार्मूले के हिसाब से गणना कर बनने वाली राशि से काफी कम रहा है। यही नहीं आज भी देश भर में कुल उपज का 10 प्रतिशत से भी कम ही इस घोषित एमएसपी पर बिक पा रहा है। पंजाब व हरियाणा को छोड़ दे तो देश के अधिकांश हिस्सों में एपीएमसी मंडिया ही बहुत कम है।

अगर हम पिछले 10 साल में लागत साधनों (इनपुट टूल) के दामों और फसलों की कीमतों को देखे तो पायेगे की घोषित एमएसपी की तुलना में लागत साधनों की कीमतें कई गुना बढ़ी हैं, जबकि देश के अधिकतर किसानों को अभी भी घोषित एमएसपी से काफ़ी कम पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। जून 2014 में जब अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार

में कच्चे तेल की कीमतें 106 डॉलर प्रति बैरल थी तब देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 57.28 रुपयें प्रति लीटर थी। अब दस साल बाद जून 2024 में कच्चे तेल की कीमते जब अंतराष्ट्रीय बाज़ार में 82 डॉलर प्रति बैरल हैं तब दिल्ली में डीजल की कीमत 87.67 है, बीच में यह कीमते इस से ऊपर भी रही हैं। खाद, बिजली, बीज, कृषि उपकरण सभी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है पर इस की तुलना में घोषित एमएसपी अभी तक नहीं बढ़ा है जबकी बहुमत किसानों को मिलने वाले दाम तो इस से भी काफी कम है।

2014 में लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने यह वादी किया था कि सत्ता में आए तो सी2+50 प्रतिशत के अनुसार एमएसपी किसानों को देंगें, पर चुनावों के बाद न्यायलय में मोदी सरकार ने यह हलफनामा दिया की वो एमएसपी देने में असमर्थ है। 2017 में मंदसौर में किसानो पर चली गोली के बाद लाभकारी मूल्य और सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग एक बार फिर उभर कर आ गई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 2018 में किसान संसद आयोजित की गई थी जिस में "कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए किसानों का अधिकार विधेयक" पास कर दो सांसदों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में निजी सदस्य विधयक के रूप में रखा गया था। इस के बाद 2020 में एसकेएम के नेतृत्व में तीन काले कानूनों के विरोध में चले आन्दोलन की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी थी, जिस पर सरकार के साथ लिखित समझौते के अनुसार किसान नेताओं के साथ विमर्श होना था। पर सरकार द्वारा बातचीत को आगे नहीं बढाया गया, परिणामस्वरूप किसान संगठनों द्वारा एमएसपी की मांग पर लगातार आन्दोलन जारी है।

अगर हम मोदी सरकार द्वार प्रत्येक फसल सत्र के लिए घोषित किये गए एमएसपी का विश्लेषणा करें तो पाएंगे कि, उनकी सरकार सी2+50 प्रतिशत के अनुरूप एमएसपी की घोषणा का जो दावा कर रही है वह तथ्यात्मक रूप से झूठा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहियें की घोषित एमएसपी पर फसलों की खरीद देश के छोटे से हिस्से के थोड़े से किसानों से ही हो पाती है। इसलिए किसान सभी फसलों के लिए उचित एमएसपी पर गारंटीकृत खरीद के लिए कानून की मांग कर रहे हैं।

हल ही में तीसरी मोदी सरकार ने खरीफ फसल सत्र 2024–25 के लिए एमएसपी की घोषणा करते हुए भी यह झूठ कहा की किसानो के लिए घोषित यह एमएसपी स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुमोदित सी2+50 प्रतिशत के फार्मूले के अनुरूप है, पर सचाई कुछ और ही बयां करती है। धान के मामले में कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की भारित औसत सी2 लागत 2,188 रुपये प्रति क्विंटल आती है। इस लागत पर सी2+50 प्रतिशत 3,282 रुपये प्रति क्विंटल होती है वो भी तब जब कुछ राज्यों की लिए सी2 लागत बेहद कम दिखाई गई है। जबकी धान के लिए घोषित एमएसपी महज़ 2300 रुपये ही है यानि किसानों हो होने वाला घटा 1,255 रुपये प्रति क्विंटल है। कपास के मामले में राज्यों के औसत सी2 अनुमानों के अनुसार सी2+50 प्रतिशत 11,163 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जबकी घोषित एमएसपी 7121 है, इस के अनुसार किसानो को 4,042 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा होगा। मक्का में यही औसत राज्य अनुमान के अनुसार सी2+50 प्रतिशत 3378 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जिसका अर्थ है कि वर्तमान एमएसपी पर होने वाला घाटा 1,153 रुपये प्रति क्विंटल होगा। सीएसीपी के संकुचित लागत अनुमानों के अनुसार भी, सी2+50 प्रतिशत के लिहाज से धान पर 712 रुपयें प्रति क्विंटल, मक्का पर 570 रुपयें प्रति क्विंटल और कपास पर 2224 रुपये प्रति क्विंटल का घटा किसानो को हो रहा है। रबी फसल सत्र 2024–25 की बात करे तो गेहूं के लिए एमएसपी 2275 रुपयें घोषित किया गया जबके सी2+50 प्रतिशत के हिसाब से यह 2478 होना चाहियें था यानि प्रति क्विंटल 203 रुपयें का नुकसान। चने का सी2 4547 दिखाया गया था इस लिहाज से सी2+50 प्रतिशत 6820 रुपयें प्रति क्विंटल होना चाहिए पर घोषित एमएसपी 5440 है, यही किसान को प्रति क्विंटल पर 1380 रुपये का घाटा हो रहा है। इसी तरह लगभग हर फसल पर सी2+50 प्रतिशत के फार्मूले से गणना और घोषित एमएसपी में काफी फर्क है जबकि लागत कीमतों को बहुत कम करके दिखाया जाता है।

हम जब इन तमाम तथ्यों को साथ देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि, सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किसानों को सी2+50 प्रतिशत पर एमएसपी देने का जो प्रचार किया जा रहा है, वह कोरा झूठ है और इसीलिए किसान लाभकारी एमएसपी पर सभी फसलों की गारंटीकृत खरीद की मांग कर रहे है। इसके बिना कृषि संकट से पार नहीं पाया जा सकता और खेती पर निर्भर देश की बहुमत आबादी को गरीबी से बाहर नहीं निकला जा सकता। □

छत्तीसगढ़ : कानून का राज होगा या गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग?

– संजय पराते

गौ–रक्षा के नाम पर मानव हत्या का जुनून अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। स्पष्ट हत्या और कुछ हत्यारों की पहचान के बावजूद यदि मामला अज्ञात हमलावरों के खिलाफ गैर–इरादतन हत्या का बनाया जा रहा हो, तो ऐसा लगता है कि हत्यारों को ऊपर से ही गौ–रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की छूट मिली हुई है। जिंदा बच गए एक पीड़ित ने जिन हत्यारों की पहचान की है, वे आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं।

गौ–रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की यह घटना 6–7 जून की रात को घटी। पुलिस द्वारा छुटपुट रूप से दिए गए बयान और विभिन्न स्रोतों से टुकड़े–टुकड़े में आई जानकारियों को मिलाकर देखने से घटना भयावहता का पता चलता है, जिसे राज्य के स्थानीय मीडिया ने बहुत ही छोटी घटना बनाकर पेश करने की कोशिश की थी। कुछ राष्ट्रीय समाचार माध्यमों द्वारा इस अल्पसंख्यक विरोधी जघन्य कांड को उजागर किए जाने के बाद ही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन करना पड़ा है।

संक्षेप में, कुल मिलाकर घटना यह है कि कुछ पशु व्यापारियों ने महासमुंद के एक गांव से भैंसें खरीदी थीं, जिन्हें उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले में रहने वाले तीन ड्राइवर ओडिशा ले जा रहे थे। तीनों ही ड्राइवर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के थे। कुकरमुत्तो की तरह प्रदेश में उग आए तरह–तरह के गौ–रक्षा संगठनों में से एक संगठन से जुड़े हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र से वाहन का पीछा किया। वाहन को रोकने के लिए उन्होंने पहले से ही महानदी पुल पर कीलें बिछा रखी थीं। पुलिस को पुल पर बड़ी संख्या में कीलें मिली हैं। भैंसों से भरे हुए ट्रक के पंक्चर होने और रुकने के बाद, 15–20 लोगों के समूह ने उन पर हमला बोल दिया। तीनों की पिटाई के बाद हमलावरों ने चांद मिया और गुड्डु खान को पुल के नीचे बह रही सूखी नदी की चट्टान पर फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं सद्दाम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई और उसका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

इस हमले के दौरान ही मृतक चांद मियां ने शोएब को और घायल सद्दाम ने मोहसिन को फोन किया था। चांद का फोन तो तुरंत कट गया, लेकिन मोहसिन का फोन 20 मिनट

तक चला। शोएब ने बताया कि कॉल में सद्दाम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसके हाथ–पैर टूट गए हैं और वह हमलावरों से उन्हें छोड़ देने की विनती कर रहा है। शोएब ने कहा कि मुझे लगता है कि सद्दाम ने कॉल के दौरान फोन जेब में रख लिया था, उसने फोन नहीं काटा था, इसलिए सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। इसका अर्थ यह है कि यह हमला (मॉब लिंचिंग) कम से कम एक घंटे तक चला होगा। शोएब का आरोप है कि हमलावर, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं।

पुलिस ने ट्रक से 24 भैंसे बरामद की हैं और हमलावर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 307 के तहत मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर –हल्ला मचाने के बाद एक एसआइटी – का गठन कर दिया गया है।

टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए इस विवरण से निम्न निष्कर्ष साधारण तौर से निकाले जा सकते हैं:

1. भैंसें महासमुंद के एक गांव से खरीदी गई थीं। मुस्लिम ड्राइवर इन भैंसों को ओडिशा ले जा रहे थे। यह पशु खरीदी का साफ–सुथरा व्यापार है। इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े इन व्यापारियों – को गौ–तस्करों के रूप में बदनाम किया – जा रहा है। मीडिया की रिपोर्टिंग में इसी – बात पर जोर दिया गया है। प्रशासन इस – घटना को छोटा बताने का भरसक प्रयास कर रहा है और भाजपा तो ऐसे हमलों पर हमेशा खामोशी बरतती ही है।

2. हमलावर और पीड़ित एक दूसरे को पहचानते हैं।

सद्दाम ने जिन कुछ लोगों की शिनाख्त की है, वे रायपुर में रहने वाले आदतन अपराधी हैं। सद्दाम के अनुसार, ये लोग उन गाड़ियों को जाने देते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। अतः यह आशंका बलवती होती है कि चढ़ावा न चढ़ाने के कारण ही उन पर सुनियोजित रूप से हमला किया गया है और उन्हें गौ–तस्कर कहकर प्रचारित किया गया है।

3. हमलावर काफी दूर और काफी समय से ट्रक का पीछा कर रहे थे। यदि उनको यह आशंका थी कि गायों की तस्करी की जा रही है, तो उन्होंने कानून अपने हाथों में लेने के बजाए पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया ?

4. चूंकि यह हमला और मॉब लिंचिंग सुनियोजित थी, इसलिए हत्या भी सुनियोजित है, न कि गैर इरादतन; जैसा कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गौ– तस्करी का हल्ला मचाकर सरकार के संरक्षण में अल्पसंख्यक समुदाय के इन सदस्यों की हत्या को रफा–दफा करने की कोशिश की जा रही है।

सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की होती है। एक नजर से दिखाई देने वाले इन निष्कर्षों के आधार पर यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के राज में कानून का शासन चलेगा या फिर गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ? भारत आज बीफ निर्यात के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है और यह विदेशी मुद्रा अर्जन का एक बड़ा साधन है। □

योजनाबद्ध हत्या के पीड़ित तीन परिवारों से मिलने पंहुचा किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल

5 जुलाई, 2024 को अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) व अखिल भारतीय खेतमज़दूर यूनियन (एआइएडब्लयू यू) के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 7 जून को छत्तीसगढ़ में महासमुन्द–रायपुर सीमा पर महानदी पुल के पास गौरक्षकों के रूप में भाजपा–आरएसएस के अपराधियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मार डाले गये उत्तरप्रदेश के तीन मुस्लिम युवाओं के परिवारों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सहारनपुर जिले के लखनौती गांव और शामली जिले के बनत कस्बे में पीड़ितों के घर पहुंचकर तीनों परिवारों को एक–एक लाख रूपये का चेक सौंपा।

ये योजना बद्ध हत्यायें 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीज़े आने के बाद की गयीं, जिनमें भाजपा–एनडीए तीसरी बार सत्तारूढ़ हुई हालांकि उनका बहुमत काफी हद तक घट गया। इन हत्याओं के बाद भी कई राज्यों में संघ परिवार के अपराधियों ने मुसलमानों पर इसी तरह के हमले किये हैं।

किसान सभा–खेतमज़दूर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल

उत्तर प्रदेश के बनत कस्बे में मृतक तहसीम कुरैशी तथा लखनौती गांव में मृतक चांद मियाँ व सद्दाम कुरैशी के परिवारों से मिला। प्रतिनिधिमंडल में राज्य सभा के सांसद व खेतमज़दूर यूनियन के कोषाध्यक्ष वी, शिवदासन किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले महासचिव वीजू कृष्णन, वित्तसचिव पी, कृष्णप्रसाद, खेतमज़दूर यूनियन के महासचिव बी बेंकट, सह–सचिव विक्रम सिंह तथा किसान सभा सीकेसी के सदस्य पुष्पेन्द्र त्यागी व मनोज कुमार शामिल थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेता दाऊदखान, सुशील कुमार राणा, धमेन्द्र सिंह व विरेन्द्र सिंह भी उनके साथ थे।

अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने तहसीम कुरैशी के परिवार से मुलाकात नहीं की है जबकि एक एसडीएम ने लखनौती में दो परिवारों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को कोई मुआवज़ा या इलाज का खर्च नहीं दिया गया है। दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं।

किसान सभा की मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक करोड़ रूपये मुआवज़ा व स्थायी रोजगार प्रदान किया जाये। गौरतलब है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने, राजस्थान के अलवर में 1 अप्रैल 2017 को बजरंगदल के गुण्डों द्वारा मार डाले गये पशुपालक किसान पहलुखान के परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। उस समय भी देश भर में किसानों से पैसा जमाकर, अखिल भारतीय किसान सभा ने 10 लाख रूपये पीड़ित परिवार को सहायता के रूप में दिये थे।

छत्तीसगढ़ की घटना 7 जून की सुबह 2 से 3 बजे के बीच घटी थी जब 11–12 लोगों के एक गिरोह ने भैंसों को ले जा रहे ट्रक का पीछा कर महानदी पुल पर उसे रोक लिया और मज़दूरों पर हमला कर दिया। यह एक सुनियोजित हत्या का व घृणा अपराध का मामला है न कि मॉब लिंचिग का। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सेक्शन 304 व 307 के तहत गैर–इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज़ किया जिसमें दो साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इसमं सेक्शन 302 में हत्या का मामला नहीं बनाया गया। इससे छत्तीसगढ पुलिस के घोर सांप्रदायिक झुकाव का पता चलता है। इस मामले में, बाद में गिरफ्तार किये गये 4 लोगों में एक राजा अग्रवाल है जो बीजेवाईएम का जिला प्रचारक है।

रायपुर के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सार्वजनिक बयान दिया है कि युवकों की हत्या नहीं की गई उन्होंने पुल से कूदकर आत्महत्या की है। यह सीधे–सीधे हत्यारों को बचाने का प्रयास है जो अपने आप में एक गंभीर अपराध है। राज्य की भाजपा सरकार ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया है। किसान सभा पुरजोर तरीके से इस मामले की न्यायिक जांच, हत्यारों को बचाने की साजिश में लगे उच्च पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही तथा भाजपा सांसद पर मामला दर्ज़ करने की मांग करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अतिम शाह चुनावों के बाद देश भर में मुसलमानों के विरूद्ध घृणा अपराधों में आयी तेज़ी के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। आरएसएस व उसके संगठन लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं। इससे अल्पसंख्यकों में अलगाव व असुरक्षा बढ़ती है जिससे कट्टरपंथी रूझान पैदा पैदा होता है, भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव कमज़ोर होती है तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होता है। अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत जनवाद व ध र्म निरपेक्षता को मज़बूत करने के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पशुपालन अर्थव्यवस्था कृषि का हिस्सा है जिससे किसान परिवारों की 27 प्रतिशत आय सृजित होती है। पशुपालन उद्योग में लगे व्यापारियों व मज़दूरों पर हमले, किसानों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं जो अपने पशुओं को बेच नहीं सकते और पशु व्यापार बाज़ार न होने से लाभकारी मूल्य से वंचित रहते हैं।

किसान सभा पुरजोर मांग करते हैं कि एनडीए सरकार व संसद मॉब लिंचिग व घृणा अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाये, कानून तोड़ने वालों को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करे तथा पशुपालक किसानों, व्यापारियों व इस काम में लगे मजदूरों के हितों की रक्षा करें। सरकार, किसानों की जीविका को बचाने के लिए आवश्यक रूप से बाज़ार भाव पर किसानों से उनके पशुओं की खरीद करे।

किसान सभा अपनी सभी तहसील व गांव इकाई से आह्वान करती है कि वे 24 जुलाई 2024 को, पशुपालक किसानों, पशु परिवहन मज़दूरों के खिलाफ आरएसएस संचालित घृणा अपराधों के खिलाफ तथा मॉब लिंचिग व हेट क्राइम्स के विरूद्ध कानून की मांग करते हुए विरोध दिवस मनायें तथा छत्तीसगढ़ में मार डाले गये तीन कामगारों के परिवारों की मदद के लिए चंदा जमा करें। □

गाजाः एक भयावह साम्राज्यवादी युद्ध और शांति के लिए संघर्ष

– निधिश जे विलाट

"साम्राज्यवाद की विजय सभ्यता के विनाश की ओर ले जाती है" – रोजा लक्जमबर्ग, द जूनियस पैम्फलेट

"ऑपरेशन रूम में, हमने जूरी को सिर से पैर तक जांचा। इस प्यारी, कोमल छोटी बच्ची की बाएं जांघ की हड्डी का दो इंच हिस्सा गायब था, साथ ही उसकी जांघ के पीछे की अधिकांश मांसपेशियां और त्वचा भी गायब थी। उसके दोनों कुल्लोह को खोल दिया गया था, मांस को इतना गहराई तक कट गया था कि उसकी सबसे निचली हड्डियाँ तक दिखाई दे रही थीं। जब हमने क्रूरता की इस स्थलाकृति पर अपने हाथ फेरे, तो ऑपरेटिंग रूम की मेज पर कीड़ो के झुंड में गिर रहे थे", मार्क पर्लमटर और फिरोज सिधवा, गाजा यूरोपीय अस्पताल में स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे दो अमेरिकी सर्जन लिखते हैं। यह अमेरिकी डॉक्टर एक "कुपोषित" 9 वर्षीय फिलिस्तीनी लड़की जूरी के ऑपरेशन के अपने अनुभव के बारे में लिख रहे थे, जो अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मारी गई।

"क्रूरता की स्थलाकृति" का वर्णन करते हुए, ग्लोबल साउथ में 40 से अधिक सर्जिकल मिशनों में संयुक्त रूप से 57 वर्षों तक स्वयंसेवा करने वाले इन दो सर्जनों ने दोहराया कि "हमने जो देखा वह बया नहीं किया जा सकता "। जैसा कि इन सर्जनों ने बताया, यूनिसेफ द्वारा गाजा पट्टी को बच्चों के लिए सबसे खतरनाक स्थान घोषित करना अप्रत्याशित नहीं था। बच्चों को जो क्रूर वास्तविकता झेलनी पड़ी, वह साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति का प्रतिबिंब है। 'साम्राज्यवाद का मतलब युद्ध है'; इस मामले में इसे इसके कट्टरपंथी यहूदी चापलूसों के हाथों से अंजाम दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, इस समय तक गाजा पट्टी में लगभग 39,000 लोग मारे गये हैं। हालांकि, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट ने चेतावनी दी है कि गाजा संकट की वास्तविक मृतकों की संख्या इस बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि निश्चित रूप से यह काफी कम रिपोर्ट किया गया है, इसमें संभावित मृतकों की संख्या 186,000 से अधिक है। लैंसेट की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है "गाजा में मृतकों की गिनतीः कठिन लेकिन आवश्यक" का अनुमान है कि "यह गाजा पट्टी की कुल आबादी का 7.9 प्रतिशत होगा"। यदि भारतीय आबादी का 7.9 प्रतिशत देखा जाए, तो यह लगभग 11 करोड़ 40 लाख लोगों के बराबर होगा। यह गाजा में लोगों पर ढाई जा रही भयानक त्रासदी की गंभीरता है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च कानूनी सत्ता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने अपने 19 जुलाई के आदेश में फैसला सुनाया, "कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल राज्य की लगातार उपस्थिति गैरकानूनी है; इजरायल राज्य का दायित्व है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी गैरकानूनी उपस्थिति को जल्द से जल्द समाप्त करे; इजरायल राज्य का दायित्व है कि वह सभी नई बस्तियों की गतिविधियों को तुरंत बंद करे और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में बसने वाले उस के सभी

नागरिको को बहार निकाले; इजरायल राज्य का दायित्व है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में संबंधित सभी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों को हुए नुकसान की भरपाई करे; सभी राज्यों का दायित्व है कि वह कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल राज्य की अवैध उपस्थिति से उत्पन्न स्थिति को कानूनी मान्यता न दें और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल राज्य की निरंतर उपस्थिति से उत्पन्न स्थिति को बनाए रखने में कोई मदद या सहायता न दें।

इससे पहले, मई 2024 में, आईसीजे ने इजरायल को आदेश दिया था कि वह "अपने सैन्य आक्रमण और राफा प्रांत में किसी भी अन्य कार्रवाई को तुरंत रोक दे। जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह के जीवन की ऐसी परिस्थितियों में डाल सकती है जो उनके पूरे या आंशिक रूप से भौतिक विनाश का कारण बन सकती हैं"। बहार से आकर बसने वाला औपनिवेशिक राज्य जिसमें रोगात्मक विकृति का चरित्र निहित, इन सभी आदेशों की अनदेखी करता रहा है। इजरायल के स्थानीय मीडिया से उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायली सैनिक खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि जब वे ऊब गए तो उन्होंने मज़े के लिए निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों को गोली मार दी और उन्हें मार डाला। उन्होंने नागरिकों के घरों को कब्जाने के बाद उन्हें जला भी दिया। उदाहरण के लिए, इजरायली और फिलिस्तीनी पत्रकारों की एक स्वतंत्र पत्रिका +972 ने इजरायली सैनिकों के बयान दिए है जिन्होंने अपनी बौरियत मिटने के लिए नागरिकों को मार डाला। "साक्ष्यों से एक परिदृश्य का चित्रण मिलता है, जो नागरिकों की लाशों से अटा पड़ा है, जिन्हें सड़ने के लिए या आवारा जानवरों द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया गया है।"

फिलिस्तीन पर इस बर्बर हमले को अमेरिकी साम्राज्यवाद का पूरा समर्थन प्राप्त है। फिलिस्तीन, लेनिन के इस व्यावहारिक सूत्रीकरण का जीवंत उदाहरण है कि, वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्विरोधों को हल करने का प्राथमिक तरीका तेजी से साम्राज्यवादी युद्ध पर निर्भर हो गया है। 1916 में साम्राज्यवाद पर अपने उत्कृष्ट लेखन को लिखते हुए, लेनिन ने साम्राज्यवाद के समर्थकों द्वारा किए गए इस दावे को उजागर किया था कि "वित्त पूंजी का शासन विश्व अर्थव्यवस्था में निहित असमानताओं और विरोधाभासों को कम करता है"। लेनिन ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया था कि "वास्तव में यह उन्हें बढ़ाता है"।

गाजा के बारे में लिखते हुए, अरब मार्क्सवादी अली कादरी लेनिन द्वारा की गई एक धारणा को याद करते हैं कि "साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा जारी अधिक कर्जा युद्ध का संकेत देता है"। लेनिन से प्रेरणा लेते हुए, कादरी बताते हैं कि "जितनी अधिक बार और जितना ज्यादा कर्ज़ जारी किया जाएगा, भविष्य में उसके बदले लाभ के लिए समाज को उतना ही अधिक शोषण के अधीन होने के लिए मजबूर किया जाएगा"। एक अत्यधिक वित्तीय अर्थव्यवस्था में, युद्ध "पूंजीवाद का बड़ा उद्योग है"। मूल बात यह है कि इजरायली युद्ध "वैश्विक स्तर पर सैन्यवाद द्वारा संचय को बढ़ावा देता है", और इस प्रकार "लाभ की दर में गिरावट की प्रवृत्ति" मार्क्सवादी सिद्धांत द्वारा चिह्नित एकाधिकार पूंजीवाद को बचाने की कोशिश करती है।

20 जून, 2024 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त के कार्यालय ने कुछ स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के हवाले से आधिकारिक तौर पर दर्ज किया कि ब्लैकरॉक, वैनगार्ड, जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका आदि जैसी पश्चिमी वित्तीय कंपनियां गाजा में युद्ध से लाभ कमा रही हैं। यह लाभ लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, कैटरपिलर, थिसेनक्रुप, रोल्स रॉयस पावर सिस्टम्स आदि पश्चिमी हथियार निगमों में उनके निवेश से आया है। इससे यह साबित होता है कि सैन्य–औद्योगिक गुट ने एक तरफ लाभ के लिए लूटपाट से खून में सना पैसा कमाया है और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी वर्चस्व के क्षेत्र को मध्य एशिया जो गैस–बेसिन का केंद्र है, तक विस्तारित करने के उद्देश्य से स्वतंत्र राष्ट्रों को डराने के लिए युद्ध परियोजना को आगे बढ़ाया है। दोनों तरह से साम्राज्यवादी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए युद्ध और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसके कट्टरपंथी यहूदी चाटुकार भी इस अनिवार्यता को साझा करते हैं। वह शांति के दुश्मन बन गए हैं।

यह एक पुरानी भयावह मारक क्षमता बन गई है जो साम्राज्यवादी वैश्वीकरण और नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र व नव–उदारवादी शासन के अपने मंत्र की विफलता के कारण प्राकृतिक संसाधनों एवं ईंधन के लिए उन्मुक्त साम्राज्यवादी शिकार के तेज होने के कारण और भी अधिक खतरनाक रूप से हमारे सामने खड़ी है। शत्रुता के क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील होने से बचने के लिए, विश्व के लोगों को शांति के लिए साम्राज्यवादियों और उनके उन्मुक्त कट्टरपंथी यहूदी चापलूसों की इस युद्ध योजना के खिलाफ लड़ना होगा; शांति जो फिलिस्तीन को स्वतंत्रता और संप्रभुता दिलाए तथा विश्व के लिए स्थाई शांति पैदा करे। □

किसान सभा प्रतिनिधिमंडल का वायनाड में भूस्खलन क्षेत्र का दौरा

किसान सभा प्रतिनिधिमंडल ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के क्षेत्र का दौरा किया और केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की तथा तीन राज्य मंत्रियों से मुलाकात की

आज 7 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के क्षेत्र का दौरा किया, जो 29/30 जुलाई की रात को हुआ था। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, कई अभी भी लापता हैं और करोड़ों रुपये के घर, दुकानें, वाहन, खेत और बागान बर्बाद हो गई हैं।

किसान सभा प्रतिनिधिमंडल ने व्यक्तिगत रूप से भूस्खलन से हुई हृदय विदारक क्षति को देखा। इसने कई जनवादी नौजवान सभा और किसान सभा स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की, जो भूस्खलन की रात से ही बचाव एवं राहत कार्य में लगे हुए हैं।

किसान सभा प्रतिनिधिमंडल ने सभी राजनीतिक ताकतों से इस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी के सामने अपनी संकीर्ण, स्वार्थी और क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठ, अपने सभी प्रयासों व ऊर्जा को बचाव, राहत एवं पुनर्वास के काम में लगाने का आह्वान किया।

किसान सभा प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और राहत एवं पुनर्वास के लिए तत्काल विशेष धनराशि जारी करे। किसान सभा प्रतिनिधिमंडल ने वायनाड के जिला केंद्र कलपेट्टा पहुँच कर जिला कलेक्ट्रेट में राज्य के तीन मंत्रियों क्रमशः राजस्व, लोक निर्माण विभाग और अनुशुचित जाति/जनजाति कल्याण मंत्री के राजन, मुहम्मद रियास एवं ओ आर केलू से मुलाकात की। मंत्रियों ने वायनाड के लिए पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में कृषि, वृक्षारोपण और उत्पादन क्षेत्रों में रोजगार व आय सृजन साधनों का आश्वासन दिया।

किसान सभा के इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ अशोक ढ़वले, महासचिव डॉ विजू कृष्णन, वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद, केरल राज्य महासचिव पनोली वलसन, राज्य उपाध्यक्ष एम महबूब, राज्य संयुक्त सचिव पी के सुरेश, राज्य समिति सदस्य के जे जोसेफ, वायनाड जिला अध्यक्ष ए वी जयन और वायनाड जिला सचिव सी जी प्रथ्यूश शामिल थे। इस दौरान सीपीआई (एम) वायनाड जिला सचिव पी गगारिन भी मौजूद रहे।

9 अगस्त को, अखिल भारतीय किसान सभा और केरल कर्षक संघम (केरल किसान सभा) के प्रतिनिधिमंडल ने तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। □

9 अगस्त कॉर्पोरेट भारत छोड़ो अभियान

सहरसा, बिहार

इटावा, उत्तर प्रदेश

गुवाहाटी, असम

राजकोट, गुजरात

किसानों की आवाज संसद में हुई मजबूत

कॉमरेड
अमराराम
को सीकर लोकसभा क्षेत्र से
जितने पर लाल सलाम

कॉमरेड
के राधाकृष्णन
को अलाथुर लोकसभा क्षेत्र से
जितने पर लाल सलाम

कॉमरेड
एस यू वेंकटेसन
को मदुरै लोकसभा क्षेत्र से
जितने पर लाल सलाम

कॉमरेड
सचिन्थानान्थं आर
को डिंडीगुल लोकसभा क्षेत्र से
जितने पर लाल सलाम

मूल्य : 20 रुपये

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (केंनिंग लेन), नई दिल्ली–11000 1
फोन व फैक्स : 011–23782890 ई–मेल : kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095